

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-1-03.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177 ]

रायपुर,, बुधवार,, दिनांक 25 जून 2008 – आषाढ 4, शक 1930

## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाईन जी.ई. रोड रायपुर –492001

दूरभाष क्र. 771-5073555, फैक्स 5073553

वेब साइट: [www.cserc.gov.in](http://www.cserc.gov.in), ई मेल: [cserc.sec.cg@nic.in](mailto:cserc.sec.cg@nic.in)

### उद्देश्य और कारण

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 आदेशित करती है कि टैरिफ अवधारण के लिए निबन्धनों एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए समुचित आयोग अन्य बातों के अलावा बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांतों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। इस आयोग ने वर्ष 2006 में छ.ग.रा.वि.नि.आ. (टैरिफ अवधारण हेतु निर्वहन एवं शर्तें) विनियम अधिसूचित किया है, परंतु ये विनियम बहुवर्षीय टैरिफ की रीति को विस्तार से समाहित नहीं करते। टैरिफ नीति की कंडिका 5.3 (एच) में भी बहुवर्षीय टैरिफ की परिधि में टैरिफ अवधारण के सामान्य उपायों को निर्धारित किया गया। इन विनियमों का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा, उत्पादन केन्द्रों से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के प्रदाय पारेषण टैरिफ, विद्युत के व्हीलिंग और विद्युत की फुटकर बिक्री हेतु बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों को अपनाते हुए; फोरम ऑफ रेगुलेटर्स द्वारा टैरिफ नीति के अनुरूप मानकों आदि का निर्धारण लंबित रहते; टैरिफ निर्धारण हेतु निबन्धनों एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करना है।

“छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2008”

क्र. 26/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2007 विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्र. 36) की धारा 181 (2) सहपठित धारा 61, 62 और 181 (2)(जेड.डी.) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

## भाग - I प्रारंभिक

### 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रवर्तन

- 1.1. ये विनियम "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2008" कहलायेंगे।
- 1.2. ये विनियम उस तिथि से लागू होंगे जैसा कि आयोग द्वारा अधिसूचित किया जावे।
- 1.3. इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

### 2. विनियमों की परिधि और प्रयोग की सीमा

- 2.1. ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य में संचालन कर रहे निम्नलिखित व्यक्तियों को लागू होंगे:—
  - (ए) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल जो राज्य पारेषण उपक्रम और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 में सम्मिलित संक्रमण कालीन उपबंधों के अधीन एक अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्यरत हैं;
  - (बी) सभी केन्द्रीय शासन के स्वामित्व या नियंत्रण में उत्पादन कंपनियाँ, और ऐसी उत्पादन कंपनियाँ जो केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन हों, और एक से अधिक राज्य में उत्पादन और विक्रय के समन्वित योजना के अंतर्गत कार्यरत हों, को छोड़कर शेष सभी उत्पादन कंपनी;
  - (सी) राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (यों); तथा
  - (डी) वितरण अनुज्ञप्तिधारी (यों),
- 2.2. इन विनियमों के प्रावधानों के असंगत होते हुए भी जहां टैरिफ का अवधारण केन्द्रीय शासन द्वारा जारी कि गई मार्गदर्शिका के अनुरूप बोली की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया गया हो, वहाँ, आयोग, अधिनियम की धारा 63 के अनुरूप ऐसे टैरिफ को अपनायेगा।
- 2.3. इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट संचालन के मानदण्ड, उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी (यों) को संचालन के परिष्कृत मानदण्डों को अपनाने से नहीं रोकेंगे और ऐसे परिष्कृत मानदण्ड टैरिफ के अवधारण हेतु लागू होंगे।
- 2.4. इन विनियमों के अधीन सभी प्रक्रियाएँ आयोग के कार्य संचालन विनियम के अनुसार नियंत्रित होगी।

### 3. परिभाषायें और व्याख्या

- 3.1. इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

- (a) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्र. 36);
- (b) 'कुल राजस्व आवश्यकता' अथवा ए.आर.आर से अभिप्रेत है, अनुज्ञप्त एवं/या विनियमित अनुमत व्यापार से संबंधित वह लागत जो इन विनियमों के अनुरूप हो एवं जो आयोग द्वारा अवधरित टैरिफ और प्रभारों से वसूल की जा सके;
- (c) 'आवेदक' से अभिप्रेत है, कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, जिसने टैरिफ निर्धारण या वार्षिक अनुपालन के पुनर्विलोकन हेतु इन विनियमों और अधिनियम के अनुरूप कोई आवेदन किया हो। इसमें वह अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी भी सम्मिलित है जिसके टैरिफ का पुनर्विलोकन आयोग द्वारा किया जाता है;
- (d) 'सहायक ऊर्जा खपत या ए.यू.एक्स' से अभिप्रेत है, किसी विशेष समयावधि में उत्पादन केन्द्र के सहायक उपकरणों द्वारा उपभोग की गई विद्युत की मात्रा और उत्पादन केन्द्र के भीतर लगे ट्रांसफार्मर की हानियां, जो उस उत्पादन केन्द्र की समस्त इकाईयों के टर्मिनलों पर संयुक्त अथवा पृथक-पृथक रूप से अंकित कुल ऊर्जा के योग के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है;
- (e) "उपलब्धता"
- (i) ताप उत्पादन केन्द्र के संबंध में किसी अवधि विशेष में 'उपलब्धता' से तात्पर्य प्रतिदिन घोषित क्षमताओं (डी.सी) के उस अवधि विशेष के सभी दिनों का औसत, जो उस उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया हो, जिससे मानकीकृत सहायक उपभोग (मेगावाट में) घटाया जावे और जो निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिगणित किया गया हो:-
- $$\text{Availability} = 10000 \times \sum_{i=1}^N \text{DC}_i / \{N \times \text{IC} \times (100 - \text{AUX}_n)\} \%$$
- जहां
- IC- से तात्पर्य है, उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता मेगावाट में।
- DC- से तात्पर्य है, उस अवधि के i वें दिन के लिए (मेगावाट में) औसत घोषित क्षमता।
- N- से तात्पर्य है, उस अवधि के दौरान दिनों की संख्या।
- AUX- से तात्पर्य है, मानकीकृत सहायक उपभोग, जो सकल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में हो, और
- Σ- से तात्पर्य है, i = 1 से N
- (ii) पारेषण प्रणाली के संबंध में, किसी अवधि विशेष में 'उपलब्धता' से तात्पर्य घंटों में वह अवधि, जिसमें कि पारेषण तंत्र प्रदाय बिन्दु तक अपनी योजित वोल्टेज पर विद्युत पारेषण करने में सक्षम हो, और जो दी गई अवधि के कुल घंटों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की गई है;
- (f) 'आधार वर्ष' से अभिप्रेत है, नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के तुरन्त पहले आने वाला वित्तीय वर्ष;

(g) **हितग्राही**

- (i) उत्पादन केन्द्र के संबंध में हितग्राही से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वार्षिक नियत प्रभारों और/या ऊर्जा प्रभारों का भुगतान कर ऐसे केन्द्र से उत्पादित विद्युत क्रय करता हो; और
- (ii) पारेषण तंत्र के संबंध में हितग्राही से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम, 2005 में यथा परिभाषित दीर्घावधिक और अल्पावधिक दोनों प्रकार के मुक्त उपयोग ग्राहक। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से जिन वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने ट्रांसमिशन सर्विस ऐग्रीमेंट किया हो, वे भी इसमें शामिल होंगे;
- (h) जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में “क्षमता सूचकांक” से अभिप्रेत है, एक वर्ष की अवधि के दैनिक क्षमता सूचकांकों का औसत;
- (i) ‘सीईआरसी या केन्द्रीय आयोग’ से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 76 के अधीन स्थापित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग;
- (j) “आयोग” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;
- (k) “कार्य संचालन विनियम” से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004;
- (l) “नियंत्रण अवधि” से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली तीन से पांच वर्ष की विशिष्ट अवधि वाली कोई बहुवर्षीय अवधि, जिसके लिए राजस्व आवश्यकता और टैरिफ निर्धारण के सिद्धांत तय किये जावेंगे;
- (m) जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में “दैनिक क्षमता सूचकांक” से अभिप्रेत है, किसी दिन के लिए उपलब्ध अधिकतम क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की गई घोषित क्षमता और इसे गणितीय रूप में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया जावेगा;

**घोषित क्षमता (मेगावाट)**

$$\text{दैनिक क्षमता सूचकांक} = \frac{\text{घोषित क्षमता (मेगावाट)}}{\text{अधिकतम उपलब्ध क्षमता (मेगावाट)}} \times 100$$

(n) **वाणिज्यिक संचालन का दिनांक या सी.ओ.डी;**

- (i) उत्पादन इकाई के संबंध में “वाणिज्यिक संचालन का दिनांक या सी.ओ.डी” से अभिप्रेत है, हितग्राहियों को सूचित करके उत्पादन इकाई के सफल परीक्षण संचालन के द्वारा अधिकतम निरंतर क्षमता या स्थापित क्षमता को प्रदर्शित कर उत्पादक द्वारा घोषित दिनांक;
- (ii) “उत्पादन केन्द्र के संबंध में वाणिज्यिक संचालन का दिनांक या सी.ओ.डी” से अभिप्रेत है, उपरोक्त खण्ड (i) के अनुरूप अंतिम इकाई या अंतिम हिस्से के वाणिज्यिक संचालन का दिनांक;

- (iii) “पारेषण तंत्र के संबंध में वाणिज्यिक संचालन का दिनांक या सी.ओ.डी” से अभिप्रेत है, उसके नियोजित वोल्टेज स्तर तक पारेषण तंत्र के आवेशित किये जाने का दिनांक, जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अभिप्रमाणित किया जावेगा; और
- (iv) “वितरण तंत्र के संबंध में वाणिज्यिक संचालन का दिनांक या सी.ओ.डी” से अभिप्रेत है, विद्युत लाईनों या उपकेन्द्रों को उसके घोषित वोल्टेज स्तर तक आवेशित करने का दिनांक। उन मामलों में जहाँ लाईन(नों)/उपकेन्द्र(द्रों) को आवेशण हेतु तैयार घोषित किया गया हो परन्तु अनुज्ञप्तिधारी ऐसे कारणों से, जो उस पर आरोपणीय न हो, आवेशण करने योग्य न हो, वहाँ ऐसी लाईन(नों)/उपकेन्द्र(ओं) आवेशण योग्य घोषित किये जाने से सात दिनों के पश्चात् की तिथि को माना जावेगा;
- (o) “घोषित क्षमता अथवा डी.सी.”
- (i) ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में इससे अभिप्रेत है, ईंधन की उपलब्धता को यथोचित रूप से ध्यान में रखते हुए, दिन की किसी अवधि या संपूर्ण दिन के लिए उस उत्पादन केन्द्र द्वारा मेगावाट में घोषित *एक्स बस* विद्युत प्रदान करने की क्षमता;
- (ii) *रन आफ रिवर हाइड्रो पावर स्टेशन* के संबंध में अभिप्रेत है, पानी की उपलब्धता, उसका श्रेष्ठ उपयोग और मशीनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक द्वारा यथा घोषित सम्भावित *एक्स बस* क्षमता (मेगावाट में), जो उत्पादन केन्द्र से अगले दिन उपलब्ध हो सके;
- (iii) *पोन्डेज और स्टोरेज टाईप रन आफ रिवर जल* विद्युत केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है, अगले दिन की उच्चतम मांग अवधि में उत्पादन केन्द्र से उपलब्ध हो सकने वाली सम्भावित *एक्स बस* क्षमता (मेगावाट में), जैसा कि पानी की उपलब्धता, उसका श्रेष्ठ उपयोग और मशीनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक द्वारा घोषित की जावे, और इस उद्देश्य के लिए उच्चतम मांग अवधि 24 घंटों के भीतर तीन घंटे से कम नहीं होना चाहिए;
- (p) “वितरण हानि” से अभिप्रेत है, किसी अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तंत्र में होने वाला ऊर्जा क्षय;
- (q) “ई.आर.सी” से अभिप्रेत है, प्रभारों से सम्भावित राजस्व, जिसे अनुज्ञप्तिधारी वसूलने हेतु अनुमत हो;
- (r) “उत्पादन इकाई” से अभिप्रेत है, उत्पादन केन्द्र का टरबाइन-जनरेटर और पावर स्टेशन की उसकी सहायक इकाईयां;
- (s) “सकल कैलोरिफिक मूल्य अथवा जी.सी.व्ही ” ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में इससे अभिप्रेत है, एक किलोग्राम के ठोस ईंधन की संपूर्ण ज्वलनशीलता द्वारा किलो कैलोरी में उत्पादित की गई ऊष्मा;

- (t) “स्टेशन की सकल उष्णता दर” अथवा एस.एच.आर से अभिप्रेत है, जनरेटर टर्मिनल पर एक किलोवाट पावर की विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने हेतु आवश्यक तापीय ऊर्जा;
- (u) “अनिश्चित पावर” से अभिप्रेत है, किसी उत्पादन केन्द्र के व्यवसायिक संचालन के पूर्व उत्पादित विद्युत;
- (v) “स्थापित क्षमता” अथवा आई.सी. से अभिप्रेत है, उत्पादन केन्द्र की सभी इकाईयों की नाम पट्टिका पर दर्शित क्षमताओं का योग अथवा समय-समय पर आयोग द्वारा यथा अनुमोदित जनरेटर टर्मिनल पर मानी गई उत्पादन केन्द्र की क्षमता;
- (w) “अनुज्ञप्तिधारी” से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो, और इसमें इसी धारा के अधीन माना हुआ अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित है;
- (x) ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के इकाई के संबंध में “अधिकतम लगातार रेटिंग” या एम.सी.आर. से अभिप्रेत है, जनरेटर सिरों पर वह अधिकतम लगातार उत्पादन, जो मानकीकृत मापदण्डों एवं 50 हर्ट्ज ग्रिड आवृत्ति पर शोधित और विनिर्दिष्ट स्थानीय स्थिति पर उत्पादक द्वारा प्रत्याभूत हो;
- (y) जल विद्युत केन्द्र के संबंध में “अधिकतम उपलब्ध क्षमता” से निम्नलिखित अभिप्रेत है:—
- (i) रन आफ रिवर जल विद्युत केन्द्र:— जल स्तर एवं बहाव की विद्यमान परिस्थितियों के अधीन अगले दिन किसी उत्पादन केन्द्र द्वारा अपनी समस्त इकाईयों के चालू रहते मेगावाट में उत्पादित की जा सकने वाली अधिकतम क्षमता;
- (ii) पॉन्डेज और स्टोरेज सहित रन आफ रिवर जल विद्युत केन्द्र:— उत्पादन केन्द्र की सभी इकाईयों के चालू रहते विद्यमान जल स्तर एवं प्रवाह की परिस्थितियों के अधीन अगले दिन की पीक अवधि में उत्पादित की जा सकने वाली मेगावाट में अधिकतम क्षमता, बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए 24 घंटों की अवधि के भीतर पीक अवधि 3 घंटों से कम न हो;
- (z) “गैर-टैरिफ आय” से अभिप्रेत है, अनुज्ञप्त व्यवसाय से संबंधित ऐसी आय जो टैरिफ से भिन्न हो और उसमें अन्य व्यवसाय की आय शामिल न हो;
- (aa) “अन्य व्यवसाय” से अभिप्रेत है, अनुज्ञप्त/विनियमित व्यापार से भिन्न कोई अन्य व्यापार;
- (bb) “किसी दी गई समयावधि के लिए “संयंत्र के भार कारक या पी.एल.एफ” से अभिप्रेत है, उस अवधि के दौरान अधिसूचित उत्पादन की तुलना में प्रेषित की गई कुल ऊर्जा, जो उस समयावधि की स्थापित क्षमता के अनुरूप प्रेषित की गई ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की गई हो और जो निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिगणित की जावे:—

N

$$PLF(\%) = 10000 \times \sum_{i=1} SG_i / \{N \times IC \times (100 - AUX_n)\} \%$$

जहाँ :

IC = उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता (मेगावाट में),

SG = उस अवधि के i वें समय खण्ड के लिए अधिसूचित उत्पादन (मेगावाट में),

N = उस अवधि के दौरान समय खण्डों की संख्या,

AUX<sub>n</sub> = सकल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा की मानक सहायक खपत,

$\Sigma = i = 1$  से N तक का योग;

- (cc) जल विद्युत केन्द्र के संबंध में “मुख्य ऊर्जा” से अभिप्रेत है, किसी उत्पादन केन्द्र में वार्षिक आधार पर योजित ऊर्जा की मात्रा तक उत्पादित ऊर्जा की मात्रा, जबकि “द्वितीयक ऊर्जा” से अभिप्रेत है उत्पादन केन्द्र में वार्षिक आधार पर योजित ऊर्जा की मात्रा से अधिक मात्रा में उत्पादित ऊर्जा की मात्रा;
- (dd) “विनियमित व्यापार” से अभिप्रेत है, ऐसे कृत्य एवं क्रियाकलाप, जो आयोग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या अधिनियम के अधीन किसी माने हुए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा और अधिनियम के प्रावधानों एवं आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम की शर्तों के अनुरूप किसी उत्पादन कंपनी द्वारा किये जाना अपेक्षित हों;
- (ee) “फुटकर आपूर्ति के व्यापार” से अभिप्रेत है, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने आपूर्ति क्षेत्र के भीतर, वितरण की शर्तों के अनुरूप सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत विक्रय किये जाने का व्यापार;
- (ff) “फुटकर आपूर्ति टैरिफ” से अभिप्रेत है, वह दर जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं पर प्रभारित किया जाता है, और जिसमें व्हीलिंग और फुटकर आपूर्ति सेवाओं के लिए प्रभार भी सम्मिलित हैं;
- (gg) जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में “रन आफ रिवर विद्युत केन्द्र” से अभिप्रेत है, कोई जल विद्युत उत्पादन केन्द्र जिस पर अपस्ट्रीम पोन्डेज न हो जबकि “पोन्डेज सहित रन आफ रिवर विद्युत उत्पादन केन्द्र” से अभिप्रेत है, विद्युत की मांग के प्रतिदिन के उतर-चढ़ाव से निपटने के लिए पर्याप्त पोन्डेज के साथ जल विद्युत उत्पादन केन्द्र;
- (hh) जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में “विक्रय योग्य मुख्य ऊर्जा” से अभिप्रेत है, मुख्य ऊर्जा की वह मात्रा जो विक्रय (एक्स बस) के लिए उपलब्ध हो;
- (ii) जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में “विक्रय योग्य द्वितीयक ऊर्जा” से अभिप्रेत है, द्वितीयक ऊर्जा की वह मात्रा जो विक्रय (एक्स बस) हेतु उपलब्ध हो;

- (jj) किसी समय अथवा किसी अवधि विशेष या समय खण्ड में “अधिसूचित उत्पादन अथवा एस.जी” से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई मेगावाट (एक्स बस) में उत्पादन की अनुसूची;
- (kk) जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में “अधिसूचित ऊर्जा” से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र 24 घंटों की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन केन्द्र में उत्पादन की जाने वाली यथा अधिसूचित विद्युत की मात्रा;
- (ll) “राज्य” से तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य।
- (mm) “राज्य भार प्रेषण केन्द्र अथवा एस.एल.डी सी.” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 31 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं कृत्यों का निर्वहन करने हेतु राज्य शासन द्वारा स्थापित किया केन्द्र;।
- (nn) जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में “भंडारण वाले विद्युत केन्द्र” से अभिप्रेत है, वृहद् जल भंडारण क्षमता सहित जल विद्युत उत्पादन केन्द्र, जो मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन में फेरबदल करने में सक्षम हो;
- (oo) “पारेषण व्यापार” से अभिप्रेत है, पारेषण सेवा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी हितग्राही को विद्युत का पारेषण व्यापार;
- (pp) “पारेषण सेवा अनुबंध” से अभिप्रेत है, वह करार, संविदा, सहमति का ज्ञापन (मेमोरेण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग) या कोई ऐसा दस्तावेज जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण तंत्र के हितग्राही के मध्य निष्पदित किया गया हो;
- (qq) “पारेषण तंत्र” से अभिप्रेत है, संबंधित उपकेन्द्रों सहित पारेषण लाईन जो उपकेन्द्रों या आपस में जुड़ी लाईनों का समूह, इसमें पारेषण लाईनों और उपकेन्द्रों से संबद्ध यंत्र भी शामिल होंगे जिनका विद्युत पारेषण के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाय;
- (rr) “व्हीलिंग व्यापार” से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के संवहन हेतु वितरण तंत्र के संचालन एवं संधारण का व्यापार; और
- (ss) “वर्ष” से अभिप्रेत है, 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष;
- (i) चालू वर्ष से अभिप्रेत है, वह वर्ष जिसके दौरान वार्षिक लेखों का कथन या टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जावे;
- (ii) आगामी वर्ष से अभिप्रेत है, चालू वर्ष के तुरन्त पश्चात् आने वाला वर्ष; और
- (iii) पूर्व वर्ष से अभिप्रेत है, वह वर्ष जो चालू वर्ष के ठीक पहले रहा हो।

3.2 इन विनियमों में प्रयुक्त परन्तु यहां अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में और आयोग द्वारा विनिर्मित अन्य विनियमों में है।



**भाग – 2**  
**बहुवर्षीय टैरिफ की रूपरेखा एवं उपागमन**

**4. बहुवर्षीय टैरिफ (एम.वाय.टी) की रूपरेखा**

4.1 आयोग, इन विनियमों को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिनियम की धारा 61, और 62 में सम्मिलित सिद्धांतों, केन्द्रीय शासन द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति द्वारा मार्गदर्शित रहा है।

4.2 वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर) और प्रभारों से अनुमानित राजस्व (ई.आर.सी) के आंकलन हेतु पर बहुवर्षीय टैरिफ की रूपरेखा निम्नलिखित पर आधारित होगी:—

- (a) उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत और नियंत्रण अवधि के प्रारंभ के पूर्व आयोग द्वारा अनुमोदित व्यापार योजना जो नियंत्रण अवधि से कम अवधि की न हो;
- (b) उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी, द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ए.आर.आर और ई.आर.सी के विभिन्न वित्तीय एवं संचालनीय मानदण्डों के आधार पर तर्कसंगत धारणा के आधार पर पूर्वानुमान;
- (c) जहां प्रोत्साहन और हतोत्साहन के माध्यम से उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी(यों) का कार्य प्रदर्शन उन्नत किये जाने योग्य पाया जावे, वहां आयोग द्वारा यथा-अनुबद्ध विशिष्ट परिवर्तनीयों का प्रक्षेपण पथ;
- (d) अनुमोदित ए.आर.आर और कार्यान्वयन लक्ष्यों के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ का अवधारण;
- (e) अनुमोदित पूर्वानुमान और नियंत्रण योग्य एवं नियंत्रण से परे विषयों के संबंध में प्रदर्शन के विचलन की तुलना में कार्यकुशलता का वार्षिक पुनर्विलोकन;
- (f) नियंत्रण योग्य विषयों के संबंध में अनुमोदित लाभ अथवा हानियों के बंटवारे की प्रक्रिया;
- (g) नियंत्रण से परे विषयों के संबंध में अनुमोदित लाभ अथवा हानियों को अन्तरित करने की प्रक्रिया;
- (h) वार्षिक कार्य प्रदर्शन के पुनर्विलोकन एवं वास्तविक खर्चों के आधार पर नियंत्रण अवधि के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ की वार्षिक पुनर्निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ का पुनरीक्षण।

**5. बहुवर्षीय टैरिफ में उपागमन।**

ए.आर.आर के आंकलन के लिए बहुवर्षीय टैरिफ की रूपरेखा निम्नलिखित प्रस्तावों पर आधारित होगी:—

- 5.1 **नियंत्रण अवधि:** बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा के अधीन प्रथम नियंत्रण अवधि तीन वर्षों की होगी और वह 1 अप्रैल 2009 से प्रारंभ होगी तथा बाद की नियंत्रण अवधियां सामान्यतः 5 वर्षों की या ऐसी अन्य अवधि होगी जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे।
- 5.2 **आधार वर्ष:** नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष के लिए मूल्यों का निर्धारण उपलब्ध अंकेक्षित लेखों या संबंधित वर्षों के लिए सर्वोत्तम आंकलन और आयोग के विचार में समुचित अन्य तथ्यों के आधार पर एवं विभिन्न वस्तुओं के नियंत्रणयोग्य या नियंत्रणहीन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा।
- 5.3 **ए.आर.आर के नियंत्रणयोग्य एवं नियंत्रणहीन मद :** ए.आर.आर की मदों को नियंत्रणयोग्य एवं नियंत्रणहीन के रूप में चिन्हित किया जावेगा। नियंत्रणहीन मदों में विचलन स्वीकृति योग्य होंगे। आगामी वर्ष की ए.आर.आर में नियंत्रणयोग्य मदों में विचलन, जो वास्तविकताओं एवं सतर्क जाँच पर आधारित हों, उत्पादक कंपनी / अनुज्ञप्तिधारी(यों) के नियंत्रण से परे कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग स्वीकृति दे सकेगा। ऐसे विचलनों को वहन करने संबंधित लागत (कैरियिंग कॉस्ट) भी स्वीकृति की जा सकेगी। ए.आर.आर की मदों को निम्नानुसार "नियंत्रणयोग्य" एवं "नियंत्रणहीन" माना जावेगा:—

| ए.आर.आर के मद             | नियंत्रणयोग्य / नियंत्रणहीन |
|---------------------------|-----------------------------|
| ईंधन की लागत              | नियंत्रणहीन                 |
| विद्युत क्रय की लागत      | नियंत्रणहीन                 |
| सुधार एवं रख-रखाव का व्यय | नियंत्रणयोग्य               |
| कर्मचारियों पर व्यय       | नियंत्रणयोग्य               |
| प्रशासन एवं सामान्य व्यय  | नियंत्रणयोग्य               |
| ब्याज एवं वित्तीय प्रभार  | नियंत्रणयोग्य               |
| अंश-पूंजी पर प्रत्यावर्तन | नियंत्रणयोग्य               |
| मूल्य-ह्रास               | नियंत्रणयोग्य               |
| आय पर कर                  | नियंत्रणहीन                 |
| गैर टैरिफ आय              | नियंत्रणयोग्य               |

**टीप:-** ईंधन की लागत, एवं विद्युत क्रय की लागत आयोग द्वारा संचालन के मापदण्डों और अन्य कारकों के परिपेक्ष्य में, जो इन लागतों आंकलन के लिए उत्तरदायी होते हैं, निर्धारित लक्ष्यों के अधीन नियंत्रणहीन होंगी।

- 5.4 **लक्ष्य:** उन मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जावेंगे, जिन्हें आयोग उपरोक्तानुसार नियंत्रण योग्य मानता हो। जहाँ आवेदक के कार्य प्रदर्शन में प्रोत्साहन और हतोत्साहन के माध्यम से उन्नति की संभावना पाई जावे वहाँ विशिष्ट परिवर्तनीयों के विक्षेपण पथ आयोग अनुबद्ध करेगा।

- 5.5 **लाभ का वितरण:** आवेदक नियंत्रणहीन कारकों के कारण होने वाले किन्हीं विचलनों का समायोजन करने के पश्चात् (यदि कोई हों) कुल राजस्व आवश्यकता के प्रत्येक नियंत्रणयोग्य मदों में लाभ प्राप्ति एवं हानि का अभिकथन प्रस्तुत करेगा।
- 5.6 लाभ एवं हानियों के उपभोक्ताओं के साथ बंटवारे के उद्देश्य के लिए केवल कुल शुद्ध लाभ अथवा हानियों पर विचार किया जावेगा।
- 5.7 संचालनीय कुशलता से आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों से उच्चतर लाभ अर्जित किये जाने में कोई पाबंदी नहीं होगी।
- 5.8 ऐसे लाभ के बंटवारे का तंत्र निम्नानुसार होगा:—
- कुल लाभ का एक तिहाई हितग्राहियों/उपभोक्ताओं को टैरिफ में छूट के रूप में, उस अवधि तक जो आयोग द्वारा तय की जावे, अन्तरित किया जावेगा।
  - कुल लाभ का एक तिहाई विशेष रक्षित निधि के रूप में भविष्य में टैरिफ के प्रभावों को, यदि कोई हो तो, अवशोषित करने के उद्देश्य से बनाये रखा जावेगा।
  - लाभ की शेष एक तिहाई राशि उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखी जावेगी।
- 5.9 कुल हानि, यदि कोई हो तो, उसका बंटवारा निम्नानुसार होगा:—
- कुल हानियों का एक तिहाई भाग टैरिफ में अतिरिक्त प्रभार के रूप में, ऐसी अवधि के लिए जो आयोग द्वारा तय की जा सकेगी, उपभोक्ताओं को अन्तरित किया जावेगा।
  - हानि की शेष राशि उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जावेगी।
6. **कार्य योजना**
- 6.1 उत्पादन कंपनी और अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के एक अप्रैल अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य दिनांक को आयोग के अनुमोदनार्थ एक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। यह कार्य योजना, प्रत्येक वर्ष के लिए विस्तृत योजना के साथ संपूर्ण नियंत्रण अवधि को, आवरित करेगी।
- 6.2 कार्य योजना में अन्य बातों के अलावा पूंजी निवेश योजना, पूंजीकरण अनुसूची, पूंजीगत ढाँचा, प्रस्तावित निवेश के लिए वित्तीय योजना, विद्युत विक्रय/मांग का पूर्वानुमान, विद्युत भार का पूर्वानुमान विद्युत प्राप्ति की योजना, गुणवत्ता के लक्ष्य और विद्युत ह्रास में कमी सहित प्रस्तावित कार्यदक्षता, संचालन लागत में बचत तथा आयोग द्वारा वांछित किसी अन्य जानकारी का समावेश होगा।

6.3 आयोग, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो तो, और आपत्तिकर्ताओं एवं जनसामान्य से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना की संवीक्षा एवं उसका अनुमोदन करेगा।

6.4 आवेदक को बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन विहित समयावधि के भीतर प्रस्तुत करने की सुविधा के अनुक्रम में, कार्य योजना, उसकी प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर अनुमोदित की जावेगी।

## 7. बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन की प्रस्तुति

7.1 आवेदक संपूर्ण नियंत्रण अवधि के ए.आर.आर. के अनुमोदनार्थ एवं टैरिफ का आवेदन, जिसमें उस नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ए.आर.आर एवं टैरिफ तैयार किया गया हो, नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम 120 दिन पहले प्रस्तुत करेगा। आयोग द्वारा पूर्व के आदेशों में दिये गये निर्देशों पर परिपालन संबंधी अधिकथन भी आयोग को प्रस्तुत करेगा।

7.2 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दी जाने वाली सभी प्रस्तुतियाँ छ.ग.रा.वि.नि.आ (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004 और अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप भी होंगी। बहुवर्षीय टैरिफ की प्रस्तुति ऐसे प्रारूप एवं ऐसी रीति में होगी, जैसाकि आयोग समय-समय पर विहित करे।

7.3 समुचित रूप से भरे गये प्रारूपों और स्पष्टीकरणों सहित टैरिफ के आवेदन को याचिका माना जावेगा और इसे कार्य संचालन विनियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जावे।

7.4 टैरिफ अवधारण के लिए या पूर्व में अवधारित टैरिफ को जारी रखने के लिए दिया जाने वाला प्रत्येक आवेदन ऐसे शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावेगा जैसाकि समय-समय पर यथासंशोधित छ.ग.रा.वि.नि.आ (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2004 में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

7.5 आयोग, आवेदन पर स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा और आवेदक ऐसे स्पष्टीकरण एवं अतिरिक्त जानकारी आयोग द्वारा दी गई तिथि के भीतर उपलब्ध करायेगा।

## 8. बहुवर्षीय टैरिफ का आदेश लागू होने के पूर्व की अवधि के लिए वास्तविकीकरण:-

8.1 उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के लागू होने वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा प्रभारों से प्राप्त राजस्व का कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन और विचलनों का समायोजन इन विनियमों के अधीन होगा और यह पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके लिए आयोग ने टैरिफ आदेश पारित किये हों, उनकी वास्तविक/अंकेक्षित जानकारी और आयोग की सतर्क जांच पर आधारित होंगे।

8.2 उपरोक्त वास्तविकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप लाभ एवं हानि की क्षति आयोग द्वारा तय की जायेगी।

## 9. बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन का निदान:-

9.1 आयोग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल/अन्य आवेदकों की बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्तुति पर इन विनियमों एवं कार्य संचालन विनियमों के अनुरूप कार्यवाही।

9.2 आवेदक, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित प्रस्तावों का सार, आवेदन के प्रमुख विशेषताओं जो विभिन्न उपभोक्ताओं के हित में हों,(पर प्रकाश डालते हुए) रखने वाले के रुचि का, राज्य में तथा आवेदक के क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में, जिसमें से एक हिन्दी एवं अंग्रेजी का हो, प्रकाशित करेगा।

9.3 टैरिफ आवेदन की प्रतिलिपियां आयोग के कार्यालय में और आवेदक के ऐसे कार्यालयों में, जैसा कि आयोग निर्देशित करे, विक्रय हेतु उपलब्ध कराई जावेगी। ये दस्तावेज आवेदक की वेब साइट में भी डाउन लोड किये जा सकने वाले प्रारूप में रखे जावेगें ताकि सभी आक्षेपकर्ताओं की सुलभ पहुंच में रहे।

9.4 जब तक कि अन्यथा निर्देशित न किया जावे, आवेदक द्वारा प्रस्तावित ए.आर.आर और विद्यमान एवं प्रस्तावित टैरिफ के आधार पर ई.आर.सी. पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जावेगी और प्रस्तावों पर निर्णय देने के पहले आयोग ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, सुन सकेगा।

9.5 आवेदक की प्रस्तुतियों के आधार पर आयोग, ऐसे सुधारों और/या ऐसी शर्तों, जैसा कि आवश्यक एवं उचित समझा जावे, के साथ आवेदन को स्वीकार कर सकेगा और आवेदन की प्राप्ति से 120 दिनों के भीतर सामान्यजन एवं आक्षेपकर्ताओं के आपत्तियों/सुझावों पर विचारोपरान्त आदेश पारित कर सकेगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा नियंत्रण योग्य मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित होंगे एवं आवेदक के द्वारा नियंत्रित अनुमोदित व्यापारों के लिए ए.आर.आर अनुमोदन किया जायेगा।

9.6 आयोग, अधिनियम, इन विनियमों; टैरिफ नीति और अन्य सुसंगत नीतियों या विनियमों, जैसी भी परिस्थिति हो, के प्रावधानों एवं उद्देश्यों के अनुरूप टैरिफ का अवधारण करेगा।

9.7 टैरिफ अवधारण संबंधी सभी आदेश उस समयावधि को भी दर्शायेंगे, जिनके लिए वह लागू किया गया हो। आयोग विद्यमान टैरिफ को आदेश में उल्लेखित समयावधि के परे किसी समयावधि तक जारी रखने हेतु सहमत हो सकेगा, यदि आयोग इस नतीजे पर पहुंचे कि निरंतरता के लिए दिये आधार न्यायोचित हैं।

9.8 आयोग आदेश करने के 7 दिनों के भीतर उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि राज्य शासन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित उत्पादक कंपनी/ अनुज्ञप्तिधारी को देगा।

- 9.9 आवेदक आदेश का सार कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी का हो तथा जिनका प्रदाय क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, प्रकाशित करेगा। ऐसे प्रकाशन से सात दिवस की अवधि पूरी होने के पश्चात् ही यह टैरिफ लागू होगा।
10. **कार्य प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन एवं टैरिफ अवधारण**
- 10.1 उत्पादन कंपनी और अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कम से कम 120 दिन पहले कार्य प्रदर्शन के वार्षिक पुनर्विलोकन एवं टैरिफ के पुर्ननिर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी आयोग द्वारा अनुमोदित पूर्वानुमानों से कार्य प्रदर्शन के विचलन एवं कारणों तथा टैरिफ पुर्ननिर्धारण की आवश्यकता के आंकलन करने के दृष्टिकोण से मांगी गई जानकारी उपलब्ध करायेगें।
- 10.2 उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी किसी अतिरिक्त जानकारी, जो उन्हें पूर्व में नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ ढाँचे के अधीन पूर्वानुमान के समय ज्ञात या उपलब्ध नहीं थी, के आधार पर ए.आर.आर. एवं ई.आर.सी. में, नियंत्रण अवधि की शेष बची अवधि के लिए वार्षिक कार्य प्रदर्शन के पुनर्विलोकन के समय परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- 10.3 आयोग, अतिरिक्त जानकारी, जो पूर्व में नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ ढाँचे के अधीन पूर्वानुमान के समय ज्ञात या उपलब्ध नहीं थी, को देखते हुए, स्वप्रेरण से अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन किये जाने पर, ए.आर.आर. और ई.आर.सी. के अनुमोदन को; नियंत्रण अवधि के शेष भाग के लिए, वार्षिक कार्य प्रदर्शन के पुनर्विलोकन के समय संशोधित कर सकेगा।
- 10.4 उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन में पूर्ववर्ती वर्ष(षों), चालू वर्ष एवं आने वाले वर्ष के लिए वित्तीय एवं कार्य प्रदर्शन की सूचना अनुमानित राजस्व एवं व्यय की गणना के उद्देश्य से प्रस्तुत करेगा। पूर्ववर्ती वर्ष की जानकारी अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर होगी और यदि पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखा उपलब्ध न हो तो पूर्ववर्ती वर्ष के निकटतम वर्ष के उपलब्ध अंकेक्षित लेखों को बाद के सभी वर्षों के अनंकेक्षित लेखों के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।
- 10.5 आयोग, उपरोक्त 10.1 और/या 10.2 के अधीन प्रस्तुत किसी आवेदन का पुनर्विलोकन उसी रीति से करेगा मानो वह ए.आर.आर. और ई.आर.सी. के अवधारण हेतु मूल आवेदन हो और ऐसा पुनर्विलोकन पूर्ण होने के पश्चात् या तो प्रस्तावित परिवर्तनों को ऐसे बदलावों के साथ जो आयोग समुचित समझे, अनुमोदित करेगा या कारणों को अभिलिखित करते हुए निरस्त करेगा।

- 10.6 वार्षिक कार्य प्रदर्शन के पुनर्विलोकन का दायरा निर्धारित लक्ष्यों सहित ए.आर.आर. और ई.आर.सी. के अनुमोदित पूर्वानुमानों के साथ अनुज्ञप्तिधारी के कार्य प्रदर्शन की तुलना करने तक व्याप्त होगा। वार्षिक कार्य प्रदर्शन पुनर्विलोकन पूर्ण होने के पश्चात् आयोग निम्नलिखित को अभिलिखित करते हुए आदेश पारित करेगा:—
- (a) अनुमोदित परिवर्तनों सहित यदि कोई हो तो, उस वित्तीय वर्ष के लिए ए.आर.आर. और ई.आर.सी. का अनुमोदित पूर्वानुमान।
  - (b) नियंत्रणहीन मदों में अनुज्ञप्तिधारी की सकल लाभ या हानि का अनुमोदन और ऐसी प्राप्ति और हानियों को अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ताओं को दिया जाना।
  - (c) नियंत्रणयोग्य मदों में अनुज्ञप्तिधारी की सकल लाभ या हानि का अनुमोदन और खण्ड 5.8 एवं 5.9 में दर्शाये अनुसार टैरिफ के माध्यम से उनका वहन किया जाना।
  - (d) पिछले वर्ष(षों) के ए.आर.आर की मदों का वास्तविकीकरण।
  - (e) नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए पूर्वानुमान में संशोधन यदि कोई हो, का अनुमोदन।

## 11. वास्तविकीकरण

- 11.1 वार्षिक कार्य प्रदर्शन पुनर्विलोकन के साथ पूर्ववर्ती वर्ष की ए.आर.आर और प्रभारों से प्राप्त राजस्व का वास्तविकीकरण किया जायेगा।
- 11.2 नियंत्रणहीन मदों जैसे ईंधन का मूल्य, विद्युत क्रय लागत और आयकर का वास्तविकीकरण, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के अन्त में टैरिफ के वार्षिक पुनर्निर्धारण के द्वारा किया जायेगा।
- 11.3 नियंत्रणयोग्य का मदों में नियंत्रणहीन कारकों, जैसे मुद्रास्फीति और अन्य कारक जो आयोग द्वारा नियंत्रणहीन माने गये हों, के कारण उपरोक्त खण्ड 5.4 के अधीन आयोग द्वारा यथा निर्धारित स्तरों से परे विचलनों के लिए, वास्तविकीकरण किया जावेगा।
- 11.4 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य प्रदर्शन मापदण्डों से विचलनों को ध्यान में रखते हुए केवल एक बार वास्तविकीकरण का कार्य संपन्न किया जावेगा। यह अनंकक्षित/अंकक्षित लेखों और उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की गई अन्य जानकारी पर आधारित होगा। सामान्यतः, आयोग, वास्तविकीकृत अंकों का पुनर्विलोकन नहीं करेगा। तथापि लेखों का अंकक्षण समय ले सकता है अतः ऐसे मामलों में, जहां अंकक्षण के परिणामस्वरूप ए.आर.आर. अथवा राजस्व में अधिक विचलन हो, वहां पूर्व में किये गये वास्तविकीकरण के कार्य का आयोग द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकेगा।

## 12. नियंत्रण अवधि के अन्त में पुनर्विलोकन

- 12.1 नियंत्रण अवधि के अन्त में आयोग इन विनियमों में निर्धारित बहुवर्षीय टैरिफ के उद्देश्यों की प्राप्ति और सिद्धांतों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा। अधिनियम, राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति के उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु आयोग द्वितीय और उसके बाद की नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांतों का पुनरीक्षण करेगा।
- 12.2 प्रथम नियंत्रण अवधि का अन्त द्वितीय नियंत्रण अवधि का प्रारंभ होगा। उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा अपेक्षा न की गई हो। आयोग, कार्य प्रदर्शन का विश्लेषण नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में निर्धारित किये गये लक्ष्यों की तुलना में करेगा और किये गये वास्तविक कार्य प्रदर्शन, संभावित सुधार और सुसंगत अन्य कारकों के आधार पर आगामी नियंत्रण अवधि के लिए आधारभूत मान निर्धारित करेगा।



### अध्याय-3

## वार्षिक राजस्व की आवश्यकता और टैरिफ के अवधारण हेतु सामान्य वित्तीय सिद्धांत

#### 13. ऋण-पूँजी अनुपात

टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन से ऋण तथा समता पूँजी का मानक अनुपात 70:30 माना जावेगा।

परंतु जहाँ समता पूँजी 30 प्रतिशत से अधिक लगाई गई है, वहाँ टैरिफ के प्रयोजन हेतु समता पूँजी को 30 प्रतिशत तक ही सीमित माना जावेगा तथा अतिशेष राशि को ऋण के रूप में माना जावेगा। उपरोक्त 30 प्रतिशत से अधिक की समता पूँजी पर लागू होने योग्य प्रत्यावर्तन की दर, ऋण पर लागू होने वाली ब्याज की भारित औसत दर होगी।

परंतु, यह भी कि आयोग उपयुक्त मामलों में, जहाँ आवेदक आयोग की संतुष्टि हेतु यह स्थापित करने में समर्थ हो कि लगाई गई 30% से अधिक की समता पूँजी सामान्य जन के हित में थी, टैरिफ निर्धारण हेतु 30% से अधिक की समता पूँजी को भी समता पूँजी मान सकेगा।

परंतु जहाँ वास्तविक अंशपूँजी 30% से कम हो, वहाँ टैरिफ अवधारण के लिये ऋण तथा वास्तविक अंशपूँजी को माना जायेगा।

#### 14. लागत पूँजी

14.1 आयोग द्वारा कार्य योजना में यथा अनुमोदित पूँजी निवेश योजना को ए.आर.आर. एवं टैरिफ अवधारण के उद्देश्य के लिए मान्य किया जावेगा।

14.2 आयोग द्वारा सतर्क जांच-पड़ताल के अधीन, किया गया/प्रस्तावित परियोजना व्यय जो पूँजी निवेश पर किया जावे, टैरिफ अवधारण का आधार होगा।

14.3 निम्नलिखित उच्चतम मानदण्डों के अधीन पूँजी लागत में पूँजीकृत प्रारंभिक पुर्जों की लागत भी सम्मिलित होगी:-

(a) कोयला आधारित तापीय उत्पादन केन्द्रों एवं जल विद्युत केन्द्रों की कट आफ (cut off) तिथि में मूल परियोजना/संयंत्र लागत का क्रमशः 2.5 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत तक;

(b) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की मूल परियोजना/योजना लागत का 1.5 प्रतिशत तक; और

(c) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की मूल योजना लागत का 1.5 प्रतिशत तक।

14.4 पूँजी लागत, वित्तीय योजना, निर्माण के दौरान ब्याज, कार्यदक्ष तकनीक का प्रयोग और टैरिफ अवधारण के ऐसे अन्य विषयों के संबंध में आयोग द्वारा अनुमानित लागत की छान-बीन की जावेगी।

- 14.5 ऋण के अदला-बदली की अनुमति दी जाएगी बशर्ते है कि वह टैरिफ पर विपरीत प्रभाव न डालती हो और उससे उत्पन्न होने वाला लाभ उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी और हितग्राहियों/उपभोक्ताओं के बीच 50:50 के अनुपात से ऐसी अदला-बदली के वर्ष के ठीक पश्चात् आने वाले वर्ष में बांटा जावे।
- 14.6 समता पूंजी और ऋण से संबंधित अंशों के रूप में पूंजी लागत के पुनर्गठन की अनुमति दी जावेगी बशर्ते कि वह बाद की अवधि में टैरिफ पर विपरीत प्रभाव न डालती हो। ऐसे पुनर्गठन से होने वाला लाभ हितग्राहियों/उपभोक्ताओं में 50:50 के अनुपात में बांटा जावेगा।
- 14.7 जहां उत्पादन कंपनी और अनुज्ञप्तिधारी (यों) के मध्य हुए विद्युत क्रय अनुबंध में वास्तविक व्यय की कोई सीमा निर्धारित हो, वहां टैरिफ अवधारण के लिए पूंजी व्यय ऐसी सीमा से अधिक नहीं होगा।
- 14.8 विद्यमान उत्पादन केन्द्रों के मामले में उत्पादन कंपनी की लेखा पुस्तकों में अभिलिखित संयंत्र के वास्तविक लागत को टैरिफ अवधारण के उद्देश्य से मूल परियोजना लागत के रूप में मान्य किया जावेगा।

**टीपः—** कट आफ तिथि से अभिप्रेत है, किसी उत्पादन केन्द्र या पारेषण तंत्र के वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष के पश्चात् समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन।

## 15. अतिरिक्त पूंजीकरण

- 15.1 वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के बाद, कार्य के मूल विस्तार के भीतर वास्तव में हुए निम्नांकित पूंजी व्यय पर, सतर्क जांच-पड़ताल के अधीन आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है:—
- (ए) आस्थगित दायित्व।
- (बी) निष्पादन हेतु आस्थगित कार्य।
- (सी) खंड-14.3 में लिखित मानदंडों की सीमा के अधीन, मूल परियोजना लागत में शामिल प्रारंभिक पुर्जों की प्राप्ति।
- (डी) माध्यस्थम् के पंचाट अथवा किसी न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन करने का दायित्व।
- (इ) विधि में किसी परिवर्तन के फलस्वरूप किया गया व्यय।
- (एफ) कोई अतिरिक्त कार्य/सेवायें प्रणाली के प्रभावी व सफल प्रचालन हेतु अवश्यभावी बन गये हों, परंतु मूल पूंजी लागत में शामिल नहीं हों।

## टिप्पणी :-

- (i). कार्य के मूल विस्तार के भीतर प्रतिबद्ध दायित्व के कारण अंगीकृत कोई व्यय तथा प्रौद्योगिक-आर्थिक आधार पर आस्थगित व्यय का भुगतान खंड 13 में उल्लिखित आदर्श ऋण-पूँजी अनुपात में किया जायेगा।
- (ii). मूल पूँजी लागत से मूल आस्तियों के सकल मूल्य को बट्टे खाते में डालने के बाद पुरानी आस्तियों के प्रतिस्थापन के किसी व्यय पर विचार किया जायेगा। पुरानी आस्तियों की प्रतिस्थापना हेतु, किये गये पूँजीगत व्यय को, किये जाने वाले कुल व्यय में से अनुज्ञप्तिधारी को मिलने वाली पुरानी आस्तियों के रद्दी मूल्य को घटाकर, पूँजीगत व्यय की सीमा तक स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (iii). टैरिफ निर्धारण के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत कोई व्यय, जो कार्य के मूल विस्तार से अलग किसी नये कार्य के मद में हो, खण्ड 13 में विनिर्दिष्ट मानक ऋण-पूँजी के अनुपात में नियोजित किया जायेगा।
- (iv). नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, जीवन-विस्तार तथा प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त आस्तियों के प्रत्यावर्तन पर किये गये किसी व्यय को, जिसे आयोग द्वारा टैरिफ अवधारण हेतु स्वीकार किया गया हो, मूल पूँजी लागत से प्रतिस्थापित आस्तियों की मूल राशि को बट्टे खाता में डालने के बाद, खंड-13 में उल्लिखित आदर्श ऋण-पूँजी अनुपात पर नियोजित किया जावेगा।

## 16. ऋण पूँजी पर ब्याज एवं वित्त प्रभार

- 16.1 बकाया ऋणों की राशि हेतु ऋण पूँजी पर ब्याज एवं वित्त प्रभार की गणना, प्रतिसंदाय की अनुसूची पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए ऋण, बन्धपत्र (बांड) या डिबेंचर से संबन्धित अनुबंध की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार, की जायेगी। परंतु यह कि पुनःअनुबंधित ऋण अनुबंधों के ब्याज तथा वित्त प्रभार पर उस सीमा तक विचार नहीं किया जायेगा, जिस सीमा तक उनका परिणाम उच्चतर प्रभार हो। परन्तु यह और कि जारी कार्यों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार को इसमें शामिल नहीं किया जावेगा तथा उसे पूँजी लागत के भाग के रूप में माना जावेगा।
- 16.2 ऐसे मामलों में जहां कोई ऋणस्थगन अवधि प्राप्त की गई हो, तो ऋणस्थगन के वर्षों के दौरान टैरिफ में स्वीकृत मूल्यहास को उस अवधि के दौरान ऋण की वापसी माना जावेगा और ब्याज की गणना के उद्देश्य से ऋण पूँजी को मूल्यहास की सीमा तक कम किया जावेगा।
- 16.3 उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी ऋणों के अदला-बदली के सभी प्रयास करेगी जबकि यह हितग्राहियों/उपभोक्ताओं को शुद्ध लाभ दे। ऐसा लाभ हितग्राहियों / उपभोक्ताओं में 50:50 के अनुपात में बांटा जावेगा।

- 16.4 विदेशी विनिमय विचलन का जोखिम, यदि कोई हो तो, वह कोई पास थ्रू नहीं होगा। विदेशी मुद्रा में लिये जाने वाले ऋणों के लिए विदेशी विनिमय विचलन से बचाव हेतु किये सुरक्षात्मक उपायों और अदला-बदली की समुचित लागत अनुमत होगी, यदि इससे शुद्ध लाभ हो।
17. **कार्यकारी पूंजी पर ब्याज प्रभार**
- 17.1 कार्यकारी पूंजी पर, ब्याज दर की गणना आदर्श आधार पर की जावेगी, भले ही उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी ने किसी भी स्रोत से कार्यकारी पूंजी ऋण लिया हो अथवा नहीं;
- 17.2 कार्यकारी पूंजी के लिये ब्याज की दर, आधार वर्ष की एक अप्रैल को यथा विद्यमान भारतीय स्टेट बैंक की अल्पावधिक ऋणों पर प्रभारित होने वाली प्रमुख ब्याज दर के बराबर होगी।
18. **अवमूल्यन**
- 18.1 टैरिफ अवधारण के उद्देश्य के लिए अवमूल्यन की गणना निम्न प्रकार की जायेगी:—
- (a) आस्तियों की ऐतिहासिक लागत आधार मूल्य होगा।
- (b) अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष सीधी रेखा विधि से आस्तियों के उपयोगी जीवन और इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची-1 में विहित दरों पर की जावेगी।
- (c) आस्तियों का अवशेष जीवन 10 प्रतिशत मान्य किया जावेगा और आस्ति की ऐतिहासिक पूंजी लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक मूल्यह्रास स्वीकृत किया जावेगा।
- (d) भूमि अवमूल्यनयोग्य आस्ति नहीं है और आस्ति की 90 प्रतिशत ऐतिहासिक लागत करने की गणना समय कुल लागत में से इसके मूल्य को घटा दिया जावेगा।
- 18.2 मूल्यह्रास संचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारणीय होगा। ऐसे मामलों में जहां आस्ति का संचालन वर्ष के किसी भाग के लिए हुआ हो वहां मूल्यह्रास का प्रावधान यथानुपात के आधार पर किया जावेगा। मूल्यह्रास हेतु मान्य आस्ति नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमोदित निवेश योजना और पूंजीकरण सारणी के अनुरूप होगी।
- 18.3 उन आस्तियों पर, जो उपभोक्ता के अंशदान द्वारा (अर्थात् उपभोक्ताओं से वह प्राप्तियां जो राजस्व नहीं मानी जातीं) और पूंजी सब्सिडियों/अनुदानों से प्राप्त की गई हों, मूल्यह्रास स्वीकार नहीं किया जावेगा। ऐसी आस्तियों के प्रतिस्थापन हेतु प्रावधान पूंजी निवेश योजना में किए जावेंगे।

- 18.4 आयोग, केन्द्रीय आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुरूप, मूल्यहास के विरुद्ध ऋण वापसी अनुसूची के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए की गई ऋण वापसी की राशि के विरुद्ध परिगणित मूल्यहास की राशि में अंतर की सीमा तक अग्रिम की अनुमति दे सकेगा।
- 18.5 आस्तियों के पूर्ण अवमूल्यन पश्चात, उपभोक्ताओं को आस्तियों के उपयोगी मूल्य का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
19. **आय पर कर**
- 19.1 आवेदक के विनियमित व्यापार के आय के स्रोत पर यदि कोई आयकर देय हो तो वह व्यय के रूप में माना जावेगा और टैरिफ में वसूली योग्य होगा। तथापि, विनियमित व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य आय पर देय कर टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा वहन योग्य नहीं होगा। ऐसी अन्य आय पर कर आवेदक द्वारा भुगतान योग्य होगा।
- 19.2 कर अवकाश और आयकर अधिनियम 1961 के लागू प्रावधानों के अनुसार नुकसान को आगे ले जाने हेतु जमा राशि से होने वाला लाभ हितग्राहियों/उपभोक्ताओं को अंतरित किया जावेगा।
- 19.3 आयकर अधिनियम 1961 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली आयकर विवरणी एवं कर निर्धारण के आधार पर आय कर में कम या अधिक वसूली, प्रत्येक वर्ष समायोजित की जावेगी।

**अध्याय-4**  
**विद्युत उत्पादन का वार्षिक राजस्व अनुमान एवं टैरिफ**

**20. सामान्य शर्तें**

- 20.1 आयोग, ताप एवं जल विद्युत दोनों की उत्पादक कंपनियों के टैरिफ अवधारण के लिए अधिनियम की धारा 61 (a) से (h), राष्ट्रीय विद्युत नीति, टैरिफ नीति, में दर्शित सिद्धांतों से मार्गदर्शन लेगा और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2004 (संक्षेप में केन्द्रीय आयोग का टैरिफ विनियम) में केन्द्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर संशोधित विनिर्दिष्ट सिद्धांतों और परिगणन विधियों का अनुसरण करेगा।
- 20.2 किसी उत्पादन कंपनी से संबंधित टैरिफ का अवधारण आयोग के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत विद्युत क्रय अनुबंधों के आधार पर या तो संपूर्ण रूप से अथवा प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के लिए पृथक-पृथक किया जावेगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल और/या उसके उत्तराधिकारी उत्पादन कंपनी के उत्पादन केन्द्रों के लिए भी लागू होगा।
- 20.3 टैरिफ अवधारण के उद्देश्यों के लिए किसी परियोजना की कुल पूंजी लागत, उस परियोजना की विभिन्न ईकाईयों, जो उस परियोजना की भाग हों, की परियोजना लागत के रूप में विभक्त की जावेगी। जहां किसी परियोजना के उत्पादन केन्द्रों की पूंजी लागत ईकाई-वार विभक्त की हुई उपलब्ध न हो और प्रगति पर परियोजनाओं के मामलों में, सामान्य सुविधाओं की पूंजी लागत को संबंधित ईकाईयों की स्थापित क्षमता के आधार पर अनुभाजित किया जावेगा। सिचार्ड, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना उस परियोजना में लगी केवल विद्युत उत्पादन संबंधी पूंजी लागत पर टैरिफ अवधारण हेतु विचार किया जावेगा।

**21. अनिश्चित विद्युत का विक्रय**

किसी उत्पादन कंपनी द्वारा, ईंधन लागत की वसूली को छोड़कर, अनिश्चित मात्रा की विद्युत के विक्रय से अर्जित राजस्व को पूंजी लागत में कमी के रूप में लिया जावेगा और उसे राजस्व के रूप में नहीं लिया जावेगा। ताप उत्पादन केन्द्र के मामले में अनिश्चित मात्रा की विद्युत की दर खण्ड 30.3 के प्रावधानों के अधीन अवधारित ऊर्जा प्रभार के बराबर होगी और जल विद्युत संयंत्रों के मामले में यह प्राथमिक ऊर्जा दर अथवा केन्द्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट होगी।

**22. संचालन एवं संधारण व्यय**

- 22.1 संचालन एवं संधारण व्यय से अभिप्रेत है, निम्नलिखित मदों पर होने वाले सभी व्ययों का योग:-

- (a) कर्मचारी लागत;
- (b) मरम्मत एवं रख-रखाव व्यय; और
- (c) प्रशासनिक एवं सामान्य लागत।
- 22.2 अनुज्ञप्तिधारी, अपनी प्रस्तुति में नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष के लिए और इसके पश्चात् के दो वर्षों के लिए समेकित संचालन एवं संधारण व्यय प्रस्तुत करेगा। आधार वर्ष के लिए संचालन एवं संधारण व्यय अंतिम अंकक्षित लेखों या पिछले वित्तीय वर्ष के अनंकक्षित लेखों, संबंधित वर्षों के लिए वास्तविक संचालन एवं संधारण व्ययों का अनुज्ञप्तिधारी का सर्वोत्तम आंकलन एवं अन्य मान्य सुसंगत कारकों के आधार पर अवधारित करेगा। आधार वर्ष के संचालन एवं संधारण व्ययों को नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए व्यय का अनुमान करने हेतु उपयोग में लाया जाएगा।
- 22.3 उत्पादन कंपनी/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा प्रस्तुत जानकारियों के आधार पर आयोग विद्यमान उत्पादन केन्द्रों के संचालन एवं संधारण व्ययों के अनुमोदन हेतु कार्य प्रदर्शन के मानक अपना सकेगा। आधार आंकड़ों के लिए आयोग सतर्क जांच के पश्चात् पिछले पांच वर्षों के वास्तविक संचालन एवं संधारण व्ययों पर विचार करेगा।
- 22.4 आयोग द्वारा विचार किये जाने वाले व्ययों का आंकलन करने हेतु संचालन एवं संधारण व्यय पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाये जावेंगे।
- 22.5 दिनांक 01.04.2005 के पश्चात् व्यावसायिक संचालन प्रारंभ करने वाली ईकाईयों/केन्द्रों के लिए संचालन एवं संधारण व्यय केन्द्रीय आयोग के टैरिफ विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप होंगे।
- 22.6 नियंत्रण अवधि के अन्त में संचालन एवं संधारण लागत का पुनर्विलोकन आयोग द्वारा किया जावेगा।

## 23. ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

- 23.1 ऋण पूंजी एवं कार्यकारी पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभारों की गणना क्रमशः खण्ड 16 एवं 17 के अनुरूप की जावेगी।
- 23.2 ब्याज निकालने के उद्देश्य से कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगे:—
- (a) कोयला आधारित तापीय उत्पादन केन्द्रों के लिए:—
- (i) यदि वे कोयले की खदान के पास स्थित हों तो कोयले की लागत 1.5 महीनों के लिए और यदि वे कोयले की खदानों के पास न हों तो कोयले की लागत दो महीनों के लिए;
- (ii) द्वितीयक ईंधन तेल की लागत दो महीनों के लिए;

- (iii) संचालन एवं संधारण व्यय एक महीने के लिए;
  - (iv) रखरखाव के पुर्जों के लिए मूल लागत का एक प्रतिशत, जिसे व्यापारिक संचालन की तिथि से छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाया जायेगा;
  - (v) लक्षित उपलब्धता के अनुसार विद्युत विक्रय पर स्थिर एवं परिवर्तनीय प्रभारों से दो माह के बराबर प्राप्त योग्य राशि।
- (b) जल विद्युत केन्द्रों के लिए:—
- (i) एक महीने का संचालन एवं संधारण व्यय;
  - (ii) रखरखाव के पुर्जों के लिए ऐतिहासिक लागत का एक प्रतिशत जिसे व्यापारिक संचालन तिथि से छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाया जावेगा; और
  - (iii) मानक कैपासिटी इंडेक्स के अनुसार विद्युत विक्रय पर स्थिर एवं परिवर्तनीय प्रकारों से दो माह के बराबर प्राप्त योग्य राशि;

#### 24. अवमूल्यन

उत्पादन कंपनियों की आस्तियों के लिए खण्ड 18 के अनुरूप अवमूल्यन की गणना की जावेगी।

#### 25. आय पर कर

उत्पादन कंपनी की आय पर लगने वाला कर यदि कोई हो तो, खण्ड 19 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जावेगी।

#### 26. समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन

26.1 समता पूंजी आधार पर समता पूंजी के प्रत्यावर्तन की गणना खण्ड 13 के अनुरूप निकाली जाएगी और यह अधिकतम 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से होगी।

26.2 समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन के प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी के अंश पर प्रब्याजि खाते से या उसके आंतरिक स्रोतों से विचाराधीन परियोजना में समता पूंजी लगाने के लिए धन उपलब्ध हो, तो इसे उपरोक्त खण्ड 13 में दी गई सीमाओं के अधीन समता पूंजी माना जावेगा।

26.3 विदेशी मुद्रा में निवेशित समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन उसी मुद्रा में विहित सीमाओं में स्वीकार किया जावेगा और इसका भुगतान, देयक के भुगतान के नियत दिनांक को यथा—विद्यमान विनियम दर के आधार पर भारतीय रूपयों में किया जावेगा।

#### 27. राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार

आयोग द्वारा यथा—निर्धारित राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों को व्यय के रूप मान्य किया जावेगा। यदि राज्य के बाहर कोई विद्युत बेची गई हो तो उसके लिए पटाए



गये राज्य भार प्रेषण केन्द्र और पारेषण प्रभारों की राशि को उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए मान्य नहीं किया जावेगा।

## 28. अन्य आय

ऊर्जा के विक्रय के अतिरिक्त अन्य आय और यू.आई. प्रभारों से प्राप्त आय (ए.बी.टी. लागू किये जाने के पश्चात्) उत्पादन कंपनी के लिए अन्य आय होगी। इसी प्रकार यू. आई. शास्तियों को भी अन्य आय से अलग नहीं किया जा सकता। यू.आई. शास्तियां उत्पादक द्वारा वहन की जावेंगी।

## 29. संचालन के मानदण्ड

29.1 कोयला आधारित तापीय विद्युत केन्द्रों के लिए संचालन के मानदण्ड निम्नलिखित होंगे :-

पूर्ण क्षमता दर (स्थिर दर) की वसूली के लिए प्रतिशत में उपलब्धता का लक्ष्य-80%  
प्रोत्साहनों के लिए संयंत्र भार कारक का लक्ष्य (%) - 80%

29.2 केन्द्र की सकल ऊष्मा दर (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा)

| ईकाई क्षमता                | ≤ 250 मेगावाट<br>> 200 मेगावाट | > 250 मेगावाट |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| स्थायित्व की अवधि के दौरान | 2600                           | 2550          |
| पश्चात्वर्ती अवधि के दौरान | 2500                           | 2450          |

200 के मेगावाट से कम क्षमता वाली ईकाईयों के लिए केन्द्र की मानक सकल ऊष्मा दर संबंधित उत्पादन ईकाईयों के रूपांकित एस.एच.आर. से 5 प्रतिशत अधिक होगी।

29.3 द्वितीयक ईंधन तेल की खपत:-

स्थायित्व की अवधि के दौरान 4.5 मि.ली./किलोवाट घंटा  
पश्चात्वर्ती अवधि के दौरान 2.0 मि.ली./किलोवाट घंटा

29.4 सहायक ऊर्जा खपत:-

शीतक स्तम्भों सहित 9.0 प्रतिशत  
शीतक स्तम्भों रहित 8.5 प्रतिशत

29.5 स्थायित्व की अवधि:-

कोयला आधारित तापीय उत्पादन केन्द्र की किसी ईकाई के संबंध में स्थायित्व की अवधि उस ईकाई के व्यापारिक संचालन की तिथि से प्रारंभ होकर अगले 180 दिन की होगी।

- 29.6 परगमन एवं आवक-जावक पर हानि:—
- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| कोयला खदान के पास | 0.3 प्रतिशत |
| कोयला खदान से दूर | 0.8 प्रतिशत |
- 29.7 जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के संचालन के लिए मानक निम्नानुसार होंगे:—
- |  |             |
|--|-------------|
| पूर्ण क्षमता प्रभारों की प्राप्ति के लिए मानकीकृत क्षमता सूची – 85 प्रतिशत |             |
| सहायक ऊर्जा खपत  | 0.5 प्रतिशत |
| ट्रांसफार्मेशन हानि  | 0.5 प्रतिशत |
- 29.8 आयोग किसी विशेष ताप उत्पादन केन्द्र के लिए विन्टेज, आकार और उसके भूतकाल के कार्य प्रदर्शन के आधार पर मानकों को शिथिल कर सकता है।
- 29.9 गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन संयंत्रों के संचालन के मानदण्ड, ऐसे संयंत्रों के लिए आयोग द्वारा विनिर्मित विनियमों के अनुरूप होंगे।
- 29.10 गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों, जो इन विनियमों के अधिसूचना के पश्चात् उत्पादन प्रारंभ करेंगे, के संचालन हेतु मानदण्ड के संबंध में ऐसे उत्पादन केन्द्रों के लिए केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्मित विनियमों के अनुसार संव्यवहार किया जावेगा।
- 30. ताप विद्युत केन्द्रों के लिए टैरिफ**
- 30.1 टैरिफ के अवयव**
- 30.1.1 किसी तापीय उत्पादन केन्द्र से विद्युत की बिक्री हेतु टैरिफ के दो भाग होंगे, पहला वार्षिक क्षमता (स्थिर) प्रभार की वसूली और दूसरा ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार।
- 30.1.2 किसी उत्पादन केन्द्र की क्षमता प्रभारों के द्वारा वसूली योग्य नियत लागत में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे:—
- संचालन एवं संधारण व्यय
  - मूल्यह्रास
  - आय पर कर
  - पूंजी ऋण पर ब्याज एवं वित्तीय प्रभार
  - समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन
- 30.1.3 ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार में ईंधन और तेल की लागत समाविष्ट होगी।

## 30.2 क्षमता प्रभारों की वसूली

30.2.1 कोई उत्पादन केन्द्र उसके लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट लक्ष्य की उपलब्धता पर संपूर्ण क्षमता प्रभारों की वसूली कर सकेगा। उपलब्धता के स्तर के नीचे क्षमता प्रभारों की वसूली अनुपातिक आधार पर होगी। शून्य उपलब्धि पर कोई क्षमता प्रभार देय नहीं होगा।

30.2.2 क्षमता प्रभारों का भुगतान मासिक आधार पर आबंटित/अनुबंधित क्षमता के अनुपात में होगा।

## 30.3 ऊर्जा प्रभार

ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार में ईंधन लागत समाविष्ट होगी और यह उत्पादन केन्द्र से प्रदत्त/भेजी गई एक्स बस ऊर्जा के आधार पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित की जायेगी:-

$$\text{ऊर्जा प्रभार (रूपये)} = \text{REC} * \text{DE}_{\text{ex-bus}}$$

जहां, REC रूपये/किलोवाट घंटा में ऊर्जा प्रभार है, जो निम्नलिखित सूत्र द्वारा अवधारित किया जाता है:-

$$\text{REC} = \frac{100 * [P_p * Q_p + P_s * Q_s]}{[100 - \text{AUX}]}$$

$P_p$  = रूपये प्रति किलोग्राम में प्राथमिक ईंधन, जैसे कोयला, का मूल्य

$Q_p$  = किलोग्राम में प्राथमिक ईंधन की वह मात्रा, जो जनरेटर टर्मिनल पर एक किलोवाट घंटा विद्युत का उत्पादन करने हेतु आवश्यक हो और जो केन्द्र की मानक सकल ऊष्मा दर (जिसमें द्वितीयक ईंधन तेल द्वारा (कोयला आधारित उत्पादन केन्द्रों में) प्रदत्त ऊष्मा घटा दी गई हो) और कोयले के सकल कैलोरिफिक मान के आधार पर परिगणित की गई हो।

$P_s$  = रूपये प्रति मि.ली में द्वितीयक ईंधन तेल का मूल्य

$Q_s$  = आयोग द्वारा मि.ली./किलोवाट घंटा में यथा-अनुमोदित द्वितीयक ईंधन तेल की मानक मात्रा

$\text{AUX}$  = आयोग द्वारा यथा अनुमोदित सकल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में मानक सहायक ऊर्जा खपत

$\text{DE}_{\text{ex-bus}}$  = संबंधित माह के लिए किलोवाट घंटे में प्रदत्त एक्स बस ऊर्जा

## 30.4 पारितोषक (Incentive)

राज्यांतरिक उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी) लागू किये जाने की दशा में संयंत्र के लक्षित भार कारक के अनुरूप उत्पादन योग्य ऊर्जा से अधिसूचित उत्पादन के अनुरूप उत्पादित एक्स बस ऊर्जा के आधिक्य लिए 25 पैसा किलोवाट घंटे कि

निर्धारित दर पर पारितोषक देय होगा। उस समय तक, ऊपर विनिर्दिष्ट की गई दर पर पारितोषक की गणना लक्षित संयंत्र भार कारक के अनुरूप उत्पादन से वास्तविक उत्पादन के आधिक्य पर की जावेगी।

### 30.5 विलंबित भुगतान पर अधिभार

उन मामलों में जहां क्षमता प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों के देयकों का भुगतान देयक के दिनांक से एक माह के पश्चात् विलंबित रूप से हो वहां उत्पादन कंपनी 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके किसी भाग पर की दर से विलंबित भुगतान पर अधिभार प्रभारित कर सकेगी।

### 30.6 छूट

क्षमता प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों के देयकों का भुगतान साख पत्र के माध्यम से होने की दशा में दो प्रतिशत की छूट स्वीकृत की जावेगी।

### 30.7 अनाधिसूचित अन्तः परिवर्तन (यू.आई.) प्रभार

राज्यांतरिक उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी) लागू किये जाने की दशा में, उत्पादन केन्द्र अधिसूचित उत्पादन के अनुपात में भेजी गई ऊर्जा और वास्तव में भेजी गई ऊर्जा के मध्य के विचलन के लिए प्रभार, उस दर पर, जैसा कि आयोग समय-समय पर अनुमोदित करे, प्राप्त करने का पात्र हो सकेगा या उसे वहन करेगा, जैसा भी मामला हो।

### 30.8 घोषित सामर्थ्य का प्रदर्शन

30.8.1 राज्य प्रेषण केन्द्र द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित उत्पादन केन्द्र को जब और जैसे अपनी घोषित सामर्थ्य का प्रदर्शन करने को कहा जाय, तब ऐसा प्रदर्शन करना उत्पादन कंपनी के लिए आवश्यक होगा। उस दशा में जब उत्पादन कंपनी अपनी घोषित सामर्थ्य का प्रदर्शन करने में असफल हो जावे तब उस उत्पादक को देय क्षमता प्रभार की राशि में कमी की जावेगी जिसकी मात्रा शास्ति के रूप में, आयोग द्वारा तय की जावेगी।

30.8.2 उत्पादन केन्द्र के संचालन संबंधी दैनिक अभिलेख पुस्तकों को राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पुनर्विलोकन हेतु उपलब्ध कराया जावेगा। इन पुस्तकों में मशीन के संचालन एवं संधारण का अभिलेख रखा जावेगा।

### 31. जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए टैरिफ

#### 31.1 टैरिफ के अवयव

जल विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत के विक्रय के लिए टैरिफ के दो भाग होंगे, पहला वार्षिक क्षमता प्रभार और दूसरा ऊर्जा प्रभार, जो उस रीति से निकाले जावेंगे जैसा कि आगे प्रावधित किया गया है।

### 31.2 वार्षिक क्षमता प्रभार की गणना

किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत के विक्रय हेतु द्वि-खण्डीय टैरिफ में वार्षिक क्षमता प्रभार और प्राथमिक ऊर्जा प्रभार सम्मिलित होंगे:-

(i) क्षमता प्रभार: क्षमता प्रभार निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिगणित किया जावेगा:-

$$\text{क्षमता प्रभार} = (\text{वार्षिक स्थिर प्रभार} - \text{प्राथमिक ऊर्जा प्रभार})$$

*टीप:- प्राथमिक ऊर्जा प्रभार द्वारा वसूली वार्षिक स्थिर प्रभार से अधिक नहीं होगी।*

(ii) वार्षिक स्थिर प्रभार:-

कुल वार्षिक व्यय और समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन की गणना व्ययों और इन विनियमों के खण्ड 26 में अनुमत प्रत्यावर्तन के आधार पर की जावेगी।

### 31.3 क्षमता प्रभारों की वसूली

31.3.1 उपरोक्त खण्ड 29.7 में विनिर्दिष्ट मानक क्षमता सूची पर पूर्ण क्षमता प्रभार वसूली योग्य होंगे, लक्षित उपलब्धता के स्तर से कम उपलब्धता होने पर क्षमता (स्थिर) प्रभार, की वसूली अनुपातिक आधार पर की जावेगी शून्य उपलब्धता पर कोई क्षमता प्रभार देय नहीं होगा।

31.3.2 क्षमता प्रभारों का भुगतान मासिक आधार पर आबंटित/अनुबंधित क्षमता के अनुपात में होगा।

### 31.4 प्राथमिक एवं द्वितीयक ऊर्जा प्रभार

31.4.1 सभी जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए प्राथमिक ऊर्जा की दर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सेक्टर के ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों के न्यूनतम परिवर्तनीय प्रभारों के बराबर होगी।

परन्तु उपरोक्त प्रावधान का प्रयोग करते हुए यदि वसूली योग्य प्राथमिक ऊर्जा प्रभार किसी उत्पादन केन्द्र के वार्षिक नियत प्रभार से अधिक दर का हो तो ऐसे उत्पादन केन्द्र के लिए प्राथमिक ऊर्जा दर निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिगणित की जावेगी:-

$$\text{प्राथमिक ऊर्जा दर} = \frac{\text{वार्षिक स्थिर प्रभार राशि}}{\text{विक्रय योग्य प्राथमिक ऊर्जा}}$$

प्राथमिक ऊर्जा प्रभार की राशि = विक्रय योग्य प्राथमिक ऊर्जा x प्राथमिक ऊर्जा दर  
दर द्वितीयक ऊर्जा दर प्राथमिक ऊर्जा दर के बराबर होगी

द्वितीयक ऊर्जा प्रभार की राशि= विक्रय योग्य द्वितीयक ऊर्जा x द्वितीयक ऊर्जा दर

### 31.5 पारितोषक (Incentive)

31.5.1 सभी उत्पादन केन्द्रों, जिसमें अपने संचालन के पहले वर्ष के नये उत्पादन केन्द्र भी सम्मिलित हैं, को पारितोषक देय होगा, जब रन आफ रिवर विद्युत उत्पादन केन्द्रों की दशा में क्षमता सूची 90 प्रतिशत और पोन्डेज सहित रन आफ रिवर शक्ति केन्द्र या भण्डारण वाले विद्युत केन्द्रों की दशा में क्षमता सूची 85 प्रतिशत से अधिक हो और ऐसा पारितोषक अधिकतम क्षमता सूची के 100 प्रतिशत तक उद्भूत होगा।

31.5.2 उत्पादन कंपनी को पारितोषक निम्नलिखित सूत्र के अनुरूप देय होगा:—

$$\text{पारितोषक} = 0.65 \times \text{वार्षिक निश्चित प्रभार} \times (\text{CIA-CIN})/100$$

(अगर पारितोषक नकारात्मक है, तो उसे शून्य माना जावेगा )

जहां CIA से तात्पर्य प्राप्त क्षमता सूची और CIN से तात्पर्य मानक क्षमता सूची है जिसका मूल्य प्योरली रन आफ रिवर हाईड्रो स्टेशन के लिए 90 प्रतिशत और पोन्डेज/स्टोरेज टाईप हाईड्रो जनरेटिंग स्टेशन के लिए 85 प्रतिशत हो।

31.5.3 क्षमता सूची के फलस्वरूप पारितोषक और द्वितीयक ऊर्जा का भुगतान वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह में संचयी समायोजन की शर्त पर मासिक आधार पर अलग-अलग देय होंगे। अंतिम समायोजन वर्ष के अन्त में किया जावेगा।

31.5.4 वार्षिक आधार पर परिगणित कुल पारितोषक हितग्राहियों द्वारा आबंटित/अनुबंधित क्षमता के आधार पर बांट लिया जावेगा।

### 31.6 विलंबित भुगतान पर अधिभार

क्षमता प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों के देयकों का भुगतान देयकों के दिनांक से एक माह से अधिक विलंब से होने की दशा में उत्पादन कंपनी 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह (या उसके किसी भाग के लिए) विलंबित भुगतान अधिभार वसूल कर सकेगी।

### 31.7 छूट

क्षमता प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों के देयकों का भुगतान प्रस्तुतिकरण पर साख पत्र के माध्यम से किया जाने पर दो प्रतिशत तक की छूट स्वीकृत की जावेगी।

### 31.8 मान्य उत्पादन

31.8.1 मान्य उत्पादन से अभिप्रेत है, ऐसी ऊर्जा, जो कोई जल विद्युत केन्द्र उत्पादन करने की क्षमता रखता है, परन्तु ग्रिड या विद्युत तंत्र की परिस्थितियों के कारण, जो उस उत्पादन केन्द्र के नियंत्रण से परे हो, उत्पादन नहीं कर पाता और परिणाम स्वरूप जल का स्पिलेज हो।

31.8.2 ऐसे स्पिलेज के कारण ऊर्जा प्रभारों का भुगतान उत्पादन कंपनी को किया जावेगा। स्पिलेज के कारण ऊर्जा प्रभारों का बंटवारा हितग्राहियों के मध्य उत्पादन केन्द्र की आबंटित क्षमता में उनके अंशों के अनुपात में किया जावेगा।

31.8.3 उपरोक्त कारण पर ऊर्जा प्रभार मान्य नहीं होंगे, यदि उस वर्ष के दौरान उत्पादित ऊर्जा योजित ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो।

## अध्याय – 5

### पारेषण हेतु वार्षिक राजस्व अनुमान तथा टैरिफ का अवधारण

#### 32. सामान्य

- 32.1 पारेषण टैरिफ का अवधारण अनुज्ञप्तिधारी के संपूर्ण पारेषण तंत्र के लिए किया जावेगा।
- 32.2 जब तक राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्वतंत्र रूप से अपना कार्य प्रारंभ नहीं करता, तब तक राज्य पारेषण तंत्र अपने खातों को पारेषण के अनुज्ञप्त व्यवसाय और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की गतिविधि हेतु पृथक-पृथक रूप से प्रदर्शित करेगा। पारेषण व्यवसाय की राजस्व आवश्यकता को पारेषण प्रभार के अवधारण हेतु उपयोग किया जायेगा।
- 32.3 जब तक पारेषण व्यवसाय और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की गतिविधियों के खाते पूर्णतः अलग नहीं हो जाते, तब तक प्रत्येक व्यवसाय के लिए वार्षिक राजस्व अनुमान, ऐसे विभाजक कथन; जिसमें सभी लागतों, राजस्वों, संपत्तियों, दायित्वों, संचित कोषों और पारेषण व्यवसाय, राज्य भार प्रेषण केन्द्र की गतिविधि और अनुज्ञप्तिधारी के अन्य व्यवसायों के मध्य व्यवस्था; द्वारा समर्थित होगा। ऐसे विभाजक कथन में विभिन्न व्यवसायों के विभाजन हेतु अपनाई गई परिगणन पद्धति भी सम्मिलित होगी।
- 32.4 आयोग द्वारा वार्षिक राजस्व अनुमान के रूप में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की यथा-निर्धारित लागत को पारेषण प्रभारों के रूप में वसूल किया जावेगा।
- 32.5 आयोग द्वारा वार्षिक राजस्व अनुमान के रूप में राज्य भार प्रेषण केन्द्र की यथा-निर्धारित लागत को राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार के रूप में वसूल किया जावेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार के अवधारण के उद्देश्य से कोई ऋण-समता पूंजी अनुपात लागू नहीं किया जावेगा क्योंकि राज्य भार प्रेषण केन्द्र को समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन अर्जित करने की अनुमति नहीं होगी।

#### 33. वार्षिक राजस्व अनुमान

नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक राजस्व अनुमानों में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- संचालन एवं संधारण व्यय
- ब्याज एवं वित्तीय प्रभार
- समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन
- मूल्यह्रास
- आय पर कर
- अन्य व्यय, यदि कोई हो
- गैर-टैरिफ आय एवं अन्य व्यवसाय से आय को घटाया जावेगा।

### 34. संचालन के मानदण्ड

34.1 लक्ष्य की उपलब्धता: राज्यांतरिक पारेषण के लिए उपलब्धता का लक्ष्य 98 प्रतिशत होगा।

34.2 उपकेन्द्र में सहायक ऊर्जा की खपत: उपकेन्द्र/कार्यालयों पर वातानुकूलन, प्रकाश, तकनीकी खपत, इत्यादि के लिए होने वाली खपत का भार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने सामान्य संचालन एवं संधारण व्यय के भाग के रूप वहन किया जावेगा।

### 34.3 पारेषण हानि और उसका उपचार

34.3.1 विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर होने वाली पारेषण हानियों को कुल ऊर्जा के योग (x) , जो पारेषण तंत्र में विभिन्न स्त्रोंतों से अन्तःक्षेपित की जावे और उन वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और उपभोक्ताओं को, जो पारेषण तंत्र से संयोजित हों, पारेषित ऊर्जा (y) के अन्तर के रूप में परिगणित की गयी हो। पारेषण हानियां, जो विभिन्न वोल्टेज स्तरों के प्रतिशत की रूप में अभिव्यक्त की गई हों, वे उस वोल्टेज स्तर तक पारेषण तंत्र में अन्तःक्षेपित कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में पारेषण हानि होगी।

$$\text{पारेषण हानि (\%)} = \frac{(x-y) \times 100}{x}$$

34.3.2 आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित मानक स्तरों तक पारेषण हानियां, पारेषण तंत्र के उपयोगकर्ताओं के ऊर्जा खाते में नामे किया जाने योग्य होंगी। ऐसे मामलों में, जहां वास्तविक पारेषण हानियां मानक हानि स्तर से अधिक हों, तो ऐसी हानियों का आधिक्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के खाते में जाएगा और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपयोगकर्ताओं को उस वित्तीय वर्ष में ऊर्जा क्रय के भारित औसत लागत पर क्षतिपूर्ति करेगा।

### 35. संचालन एवं संधारण व्यय

35.1 संचालन एवं संधारण व्यय से तात्पर्य निम्नलिखित मदों के अधीन होने वाले सभी खर्चों के योग से होगा:-

- कर्मचारी लागत;
- सुधार एवं संधारण व्यय; और
- प्रशासनिक एवं सामान्य लागत

35.2 अनुज्ञप्तिधारी अपनी प्रस्तुति में नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष के लिए और इसके पूर्व के दो वर्षों के लिए समेकित संचालन एवं संधारण व्यय प्रस्तुत करेगा। आधार वर्ष के लिए संचालन एवं संधारण व्यय, नवीनतम अंकेक्षित लेखों या पिछले वित्तीय वर्षों के अनंकेक्षित लेखों के साथ अंतिम अंकेक्षित लेखा, संबंधित वर्षों के लिए वास्तविक संचालन एवं संधारण व्ययों का अनुज्ञप्तिधारी का सर्वोत्तम आंकलन एवं



अन्य मान्य सुसंगत कारकों के आधार पर, अवधारित किया जावेगा। आधार वर्ष के संचालन एवं संधारण व्ययों को नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए व्यय का अनुमान करने हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

35.3 संचालन एवं संधारण व्ययों का निर्धारण पारेषण लाईनों के सर्किट किलोमीटर, ट्रांसफार्मेशन क्षमता और उपकेन्द्रों में बे (bay) की संख्या के आधार पर किया जावेगा। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी पारेषण लाईनों की लम्बाई, पारेषण क्षमता और उपकेन्द्रों में उपलब्ध बे (bay) की संख्या के संबंध में विस्तृत आंकड़े भी प्रस्तुत करेगा।

### 36 ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

36.1 ऋण पूंजी एवं कार्यकारी पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभारों की गणना क्रमशः खण्ड 16 एवं 17 के अनुरूप की जावेगी।

36.2 ब्याज निकालने के उद्देश्य से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- (a) एक माह के लिए संचालन एवं संधारण व्यय;
- (b) वर्ष के प्रारंभ में आस्तियों की ऐतिहासिक लागत की एक प्रतिशत की दर से संधारण पुर्जे का व्यय; और
- (c) दो महीनों के औसत राजस्व के बराबर प्राप्तियां।

### 37. अवमूल्यन

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की आस्तियों के अवमूल्यन की गणना खण्ड 18 के अनुरूप की जावेगी।

### 38. आय पर कर

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की आय पर लगने वाला कर, यदि कोई हो तो, खण्ड 19 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जावेगी।

### 39. समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन

39.1 समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन की गणना समता पूंजी के आधार पर खण्ड 13 के अनुरूप निर्धारित की जाएगी और यह अधिकतम 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

39.2 समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन के प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी के अंश पर प्रब्याजि खाते से या उसके आंतरिक स्रोतों से विचारधीन परियोजना में समता पूंजी लगाने के लिये धन उपलब्ध हो, तो इसे उपरोक्त खण्ड 13 में दी गई सीमाओं के अधीन समता पूंजी माना जावेगा।

39.3 विदेशी मुद्रा में निवेशित समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन उसी मुद्रा में विहित सीमाओं में स्वीकार किया जावेगा और इसका भुगतान, देयक के भुगतान के नियत दिनांक को यथा—विद्यमान विनियम दर के आधार पर भारतीय रूपयों में किया जावेगा।

39.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए समता पूंजी पर कोई प्रत्यावर्तन परिगणित नहीं किया जावेगा।

#### 40. गैर-टैरिफ आय

पारेषण व्यवसाय में से प्रासंगिक समस्त आय और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे स्रोतों से, जिसमें आस्तियों के विक्रय द्वारा प्राप्त लाभ, निवेशों से प्राप्त आय, किराये और उपयोगकर्ताओं से अन्य विविध प्राप्तियां भी सम्मिलित हैं, परन्तु उन तक सीमित नहीं हैं; प्राप्त आय मिलकर गैर-टैरिफ आय निर्मित करती है। समानान्तर संचालन प्रभार, यदि कोई हो तो, वह भी गैर-टैरिफ आय का एक घटक होगा।

#### 41. पारेषण टैरिफ

41.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण तंत्र के दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों द्वारा पारेषण टैरिफ देय होगा, जो आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमोदित किये जाने वाले सकल राजस्व अनुमान में वसूली हेतु रूपांकित किया जायेगा।

41.2 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित लक्षित उपलब्धता तक संपूर्ण वार्षिक पारेषण प्रभार वसूली योग्य होंगे और ऐसे प्रभार मासिक आधार पर अनुभाजित किये जायेंगे। लक्षित से कम उपलब्धता होने पर पारेषण प्रभारों का भुगतान प्रत्येक माह के लिए अनुपातिक आधार पर निर्धारित किया जावेगा। शून्य उपलब्धता पर कोई पारेषण प्रभार देय नहीं होगा।

41.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण तंत्र के दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों को आबंटित कुल पारेषण क्षमता मासिक पारेषण प्रभार के अवधारण का आधार होगी।

41.4 इस प्रकार निर्धारित पारेषण प्रभार, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों को भी लागू होगा।

#### 42. पारितोषक (Incentive)

42.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 34.1 के अनुसार लक्षित उपलब्धता से अधिक वार्षिक उपलब्धता की प्राप्ति पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार पारितोषक प्राप्त करने का पात्र होगा:—

पारितोषक = वार्षिक पारेषण प्रभार x (प्राप्त वार्षिक उपलब्धता - लक्षित उपलब्धता) / लक्षित उपलब्धता

परन्तु 99.75 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धता पर कोई पारितोषक देय नहीं होगा।

42.2 पारितोषक का आधा (50 प्रतिशत), दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों को उनके उस वर्ष के लिए आवंटित पारेषण क्षमता के औसत के अनुपात में बांटा जावेगा।

#### 43. छूट

पारेषण प्रभारों के देयकों के प्रस्तुतिकरण पर साख पत्र के माध्यम से भुगतान किये जाने पर दो प्रतिशत तक की छूट स्वीकृत की जावेगी।

44. **विलंबित भुगतान पर अधिभार**  
पारेषण प्रभारों के देयकों का भुगतान हितग्राहियों द्वारा देयकों के जारी करने के दिनांक से एक माह से अधिक विलंब से किये जाने पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह विलंबित भुगतान अधिभार वसूल कर सकेगा।
45. **राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार**  
राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आयोग द्वारा, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों के रूप में निर्धारित अपने वार्षिक राजस्व अनुमान को वसूल करने हेतु अनुमत होगा।

## अध्याय-6

### (वार्षिक राजस्व अनुमान) और व्हीलिंग एवं फुटकर आपूर्ति हेतु टैरिफ

#### 46. सामान्य

- 46.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने खातों को व्हीलिंग व्यवसाय और फुटकर आपूर्ति व्यवसाय हेतु पृथक-पृथक रखेगा। व्हीलिंग व्यवसाय के सकल राजस्व अनुमानों का उपयोग व्हीलिंग प्रभार और फुटकर आपूर्ति व्यवसाय के सकल राजस्व अनुमानों का उपयोग फुटकर आपूर्ति टैरिफ निर्धारण के लिये किया जावेगा।
- 46.2 ऐसी अवधि के लिए जब तक खाते अलग-अलग न कर दिये जावें, अनुज्ञप्तिधारी, एक 'आवन्टन कथन' तैयार करेगा जिसमें लागतों एवं राजस्वों का विभाजन, इन दोनों व्यवसायों के लिए, अलग-अलग दर्शाया जावेगा। इस कथन के साथ ऐसे आवन्टन विद्युत के लिये उपयोग की गई प्रक्रिया का व्याख्यात्मक विवरण भी लगाया जायेगा।

#### 47. विक्रय का पूर्वानुमान

- 47.1 अनुज्ञप्तिधारी, अपने आपूर्ति-क्षेत्र में उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों की सीमित तथा असीमित मांग (मेगावाट में) तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विक्रित की जाने वाली विद्युत (मेगा यूनिट में) की जानकारी नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के लिए पूर्वानुमान के रूप में प्रस्तुत करेगा। श्रेणी-वार विद्युत विक्रय का पूर्वानुमान सी. ए.जी.आर के आधार पर किया जायेगा।
- 47.2 मीटर-रहित श्रेणी के लिये, यदि कोई हो तो, विक्रय पूर्वानुमान, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये समुचित अध्ययन के आधार पर आयोग द्वारा अनुमोदित मानदंडों पर मान्य होगा।
- 47.3 उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोग की पद्धति, विद्युत क्षति, पूर्व-वर्षों की विद्युत मांग तथा आगामी वर्ष में प्रत्याशित वृद्धि तथा कोई अन्य कारक, जिसे आयोग सुसंगत समझे, के आधार पर, आयोग, पूर्वानुमानों की पर्याप्तता की जांच करेगा, तथा ऐसे सुधारों, जिन्हें आयोग उचित समझे, के साथ विक्रय पूर्वानुमान अनुमोदित करेगा।
- 47.4 विद्युत व्यापारियों अथवा अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को यदि विद्युत विक्रय किया जाना है तो उसे अलग से दर्शाया जायेगा।
- 47.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा श्रेणीवार मुक्त उपयोग ग्राहकों के विषय में भी बतलाया जावेगा। उनकी मांग तथा व्हील की जाने वाली विद्युत को भी अलग से निम्नानुसार बताना होगा :-

(a) उसके आपूर्ति-क्षेत्र के भीतर की जाने वाली आपूर्ति; तथा

(b) उसके आपूर्ति-क्षेत्र के बाहर की जाने वाली आपूर्ति।

#### 48. वितरण हानि और उसका उपचार

- 48.1 किसी विशेष वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वितरण प्रणाली में इस वोल्टेज पर अंतःक्षेपित ऊर्जा और उस वोल्टेज स्तर पर सभी उपभोक्ताओं को विक्रित कुल ऊर्जा एवं उस विशेष वोल्टेज स्तर के नीचे के स्तर को दी गई ऊर्जा के योग का अंतर होगी। अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर निर्धारित अमीटरीकृत विक्रय, यदि कोई हो तो, एवं मीटरीकृत विक्रय का योग, विक्रित ऊर्जा होगी।
- 48.2 अनुज्ञप्तिधारी, वोल्टेजवार तथा उपभोक्ता श्रेणीवार तकनीकी हानि (अर्थात् लाइन, उपकेन्द्र एवं उपस्कर में ओह्मिक/कोर हानि) और वाणिज्यिक हानि (अर्थात् गलत/अनुपयुक्त मीटरिंग तथा दुरुपयोग के कारण दर्ज नहीं हो पाई विद्युत ) को पृथक-पृथक निकालेगा।
- 48.3 आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कराये गये अध्ययन के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये एक यथार्थवादी एवं निष्पाद्य लक्ष्य (हानि कम करने हेतु) अनुमोदित करेगा। ऐसा अध्ययन उपलब्ध न होने की दशा में आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत हानियों पर प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ऐसा लक्ष्य, जिसे आयोग उचित समझे, निर्धारित करेगा।
- 48.4 विद्युत हानि स्तर को दक्षता के स्वीकार्य मानदंड तक धीरे-धीरे नीचे लाने (हानि घटाने) हेतु दीर्घकालिक व अल्पकालिक दोनों लक्ष्य, आयोग तय करेगा।
- 48.5 बेहतर प्रशासन के लिये प्रभावी कार्यवाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिक ए. टी. एवं सी. हानि वाले विशेष क्षेत्र/स्थान पर अधिभार लगाये जाने पर विचार किया जा सकता है। राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कण्डिका 8.2.1(2) के प्रावधान के अनुसार, विद्युत हानि कम करने से संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों के लिये, क्षेत्रीय आधार पर, उचित प्रोत्साहन और दण्ड राशि लगाये जाने की योजना को, आयोग, बढ़ावा दे सकता है।
- 48.6 यदि वास्तविक वितरण हानि आयोग द्वारा अनुमोदित मानक हानि स्तर से अधिक हो तो, ऐसी हानि की अधिकता वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लेखे होगी।
- 48.7 यदि वास्तविक वितरण हानि अनुमोदित हानि स्तर से कम हो तो, इससे होने वाली बचत प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ताओं के मध्य 70:30 के अनुपात में वितरित की जावेगी और बाद वाली नियंत्रण अवधियों में ऐसा बंटवारा आयोग द्वारा यथा-निर्धारित अनुपात में होगा।

#### 49. विद्युत के क्रय की आवश्यकता का आँकलन:

- 49.1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमानित विद्युत क्रय पूर्वानुमान, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्वानुमानित ऊर्जा विक्रय और नियंत्रण अवधि के वर्षों के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण हानियों एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिये अनुमोदित पारेषण हानियां के आधार पर ज्ञात की जावेगी।

49.2 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विद्युत के क्रय की आवश्यकता की सूक्ष्म जांच आयोग द्वारा की जायगी और उपयुक्त समझे गये परिवर्तन सहित इसे आयोग अनुमोदित करेगा।

50. सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.)

नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग व्यवसाय और फुटकर आपूर्ति व्यवसाय के ए.आर.आर. में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

- (a) विद्युत क्रय लागत
- (b) पारेषण राज्य और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की लागत
- (c) संचालन एवं संधारण व्यय
- (d) मूल्यह्रास
- (e) ऋण पूंजी पर ब्याज
- (f) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज
- (g) समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन
- (h) आय पर कर
- (i) अन्य व्यय, यदि कोई हो तो
- (j) अन्य व्यवसाय से आय सहित गैर-टैरिफ आय को उपरोक्त से घटाया जावेगा।

} केवल फुटकर आपूर्ति व्यवसाय हेतु

51. संचालन एवं कार्य प्रदर्शन हेतु मानक लक्ष्य

51.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जानकारी और अन्य आंकड़ों के आधार पर, आयोग, कार्य प्रदर्शन हेतु निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित करेगा:-

- (a) प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी (और उप श्रेणियां अर्थात् स्लैब) के लिए विक्रय में शुद्धता/मांग पूर्वानुमान;
- (b) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए राजस्व संग्रहण में दक्षता;
- (c) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए सकल तकनीकी और व्यवसायिक (ए. टी. एवं सी.) हानि में कमी का मार्ग;
- (d) ट्रांसफार्मर के खराब होने में कमी;
- (e) ऊर्जा दक्षता और मांगोन्मुख प्रबंधन के उपाय।

51.2 आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेहतर कार्यान्वयन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर सकता है।

## 52. विद्युत क्रय की लागत

- 52.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा विद्युत भार के पूर्वानुमान के आधार पर उपभोक्ताओं को अनुमोदित विद्युत की आपूर्ति के लिए, राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन केन्द्रों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित अन्य सभी स्रोतों से विद्युत प्राप्ति कर उसकी लागत वसूल करने हेतु अनुमत होगा।
- 52.2 अनुमोदित फुटकर विक्रय स्तर को पारेषण एवं वितरण हानियों के मानक स्तर, जैसा कि अनुमोदित हानि पथ में दिया गया हो, द्वारा वर्धित किया जावेगा, ताकि क्रय की जाने वाली विद्युत की मात्रा तक ज्ञात की जा सके।
- 52.3 विद्युत क्रय की लागत अनुमोदित करते समय, आयोग, प्रेषण योग्यता क्रम सारणी के सिद्धांतों के अनुरूप विभिन्न स्रोतों से क्रय जाने वाली विद्युत की मात्रा विद्युत क्रय की प्रभावी लागत के क्रम में निर्धारित करेगा।
- 52.4 सभी विद्युत क्रय लागतों को वैध माना जावेगा जब तक की यह स्थापित न हो कि योग्यता क्रम के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है अथवा विद्युत की खरीदी अनुचित दरों पर की गई है।
- 52.5 विदेशी विनिमय विचलन का जोखिम, यदि कोई हो तो, उसे अनुमत नहीं किया जावेगा। तथापि, विद्यमान विद्युत क्रय अनुबंधों के मामलों में, जिनमें विदेशी विनिमय दर विचलन के भुगतान का प्रावधान हो तो ऐसे अनुबंधों के जारी रहने तक उन्हें विद्युत क्रय लागतों में शामिल करने की अनुमति दी जावेगी।

## 53. पारेषण प्रभार और राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार

- 53.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को राज्यांतरिक/अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र तक पहुंच एवं उसके उपयोग के लिए, संबन्धित आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुरूप देय पारेषण प्रभारों की वसूली हेतु अनुमत होगा।
- 53.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अनुमोदित स्तर पर निम्नलिखित व्ययों की वसूली करने हेतु भी अनुमत होगा:—
- (a) पारेषण सुविधाओं में हस्तक्षेप हेतु प्रभार;
  - (b) अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी(यों) के वितरण तंत्र के उपयोग हेतु व्हीलिंग प्रभार;
  - (c) अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र तक पहुंच एवं उसके उपयोग हेतु सी.ई.आर.सी द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुरूप देय प्रभार; और
  - (d) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र को यथा-विनिर्दिष्ट देय शुल्क एवं प्रभार।

54. **संचालन एवं संधारण व्यय**
- 54.1 संचालन एवं संधारण व्यय से तात्पर्य निम्नलिखित मदों में होने वाले समस्त व्ययों के योग से है:—
- कर्मचारी लागत;
  - सुधार एवं संधारण व्यय; और
  - प्रशासनिक एवं सामान्य लागत।
- 54.2 अनुज्ञप्तिधारी, अपनी प्रस्तुति में नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष और इसके पूर्व के दो वर्षों के लिए समेकित संचालन एवं संधारण व्यय प्रस्तुत करेगा। आधार वर्ष के लिए संचालन एवं संधारण व्यय नवीनतम अंकक्षित लेखों या पिछले वित्तीय वर्षों के अनंकक्षित लेखों के साथ अंतिम अंकक्षित लेखा, संबंधित वर्षों के लिए वास्तविक संचालन एवं संधारण व्ययों का अनुज्ञप्तिधारी का सर्वोत्तम आंकलन एवं अन्य मान्य सुसंगत कारकों के आधार पर, अवधारित किया जावेगा। आधार वर्ष के संचालन एवं संधारण व्ययों को नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए व्यय का अनुमान करने हेतु उपयोग में लाया जाएगा। तथापि, आवेदक अनुज्ञप्तिधारी प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संचालन एवं संधारण व्ययों के लिए मानक भी प्रस्तावित कर सकता है।
55. **ब्याज एवं वित्तीय प्रभार**
- 55.1 ऋण पूंजी एवं कार्यकारी पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभारों की गणना क्रमशः खण्ड 16 एवं 17 के अनुरूप की जावेगी
- 55.2 ब्याज निकालने के उद्देश्य से वितरण अनुज्ञप्तिधारी की कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगे:—
- एक माह के लिए संचालन एवं संधारण व्यय;
  - वर्ष के प्रारंभ में आस्तियों की ऐतिहासिक लागत की एक प्रतिशत की दर से संधारण पुर्जों का व्यय; और
  - दो महीनों के औसत राजस्व के बराबर प्राप्तियां।
56. **समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन**
- 56.1 समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन की गणना समता पूंजी के आधार पर खण्ड 13 के अनुरूप निर्धारित की जाएगी और यह अधिकतम 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।
- 56.2 समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन के प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी के अंश पर प्रब्याजि खाते से या उसके आंतरिक स्रोतों से विचाराधीन परियोजना में समता पूंजी लगाने के लिये धन उपलब्ध हो, तो इसे उपरोक्त खण्ड 13 में दी गई सीमाओं के अधीन समता पूंजी माना जावेगा।
- 56.3 विदेशी मुद्रा में निवेशित समता पूंजी पर प्रत्यावर्तन उसी मुद्रा में विहित सीमाओं में स्वीकार किया जावेगा और इसका भुगतान, देयक के भुगतान हेतु नियत दिनांक को यथा—विद्यमान विनियम दर के आधार पर भारतीय रूपयों में किया जावेगा।



57. **मूल्यह्रास**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आस्तियों के अवमूल्यन की गणना खण्ड 18 के अनुरूप की जावेगी।

58. **आय पर कर**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आय पर लगने वाला कर, यदि कोई हो तो, खण्ड 19 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।

59. **डूबत एवं शंकास्पद बकाया**

आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की डूबत व शंकास्पद बकाया रकम को में बट्टे खाते में डालने के प्रावधान पर विचार कर सकता है। मानक प्रावधान के रूप में विद्युत विक्रय के राजस्व का एक प्रतिशत, पिछले वर्ष वास्तव में डाले गये डूबत शंकास्पद बकाया को बट्टे खाते में डालने की शर्त पर, डूबत एवं शंकास्पद बकाया के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

60. **गैर-टैरिफ आय**

वितरण व्यवसाय से प्रासंगिक समस्त आय और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे स्रोतों से, जिसमें आस्तियों के विक्रय से प्राप्त लाभ, निवेशों से प्राप्त आय, किराया, वितरण तंत्र के अधिक या कम उपयोग पर शास्तियां और उपयोगकर्ताओं से कोई अन्य विविध प्राप्तियां भी सम्मिलित हैं, परन्तु उन तक सीमित नहीं हैं; प्राप्त आय मिलकर गैर-टैरिफ आय निर्मित करती है।

61. **फुटकर आपूर्ति टैरिफ**

61.1 आपूर्ति टैरिफ लागत को प्रतिबिम्बित करने वाला होगा और उसे नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आयोग द्वारा अनुमोदित सकल राजस्व अनुमान को अभिप्राप्त करने हेतु बनाया जावेगा।

61.2 उपभोक्ता श्रेणीवार आपूर्ति टैरिफ, अनुमोदित लागतों और विद्युत आपूर्ति हेतु विक्रय/मांग अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जावेगा।

61.3 आयोग क्रास सब्सिडी को पुनः संतुलित करने हेतु प्रतिवर्ष आपूर्ति टैरिफ को पुनर्नियोजित कर सकेगा।

61.4 मांगोन्मुख प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों को प्रोत्साहित करने हेतु दो भागों वाले टैरिफ जिसमें स्थिर एवं परिवर्तनीय प्रभार पृथक-पृथक दिखाते हुए और पीक एव ऑफ-पीक अवधि के लिए अवकलनीय टैरिफ लागू किया जा सकेगा।

61.5 आयोग, उपभोक्ताओं का वृहत् वर्गीकरण और टी.ओ.डी. टैरिफ को लागू करने की समयावधि अनुबद्ध करेगा। अवकलनीय टैरिफ अनुबद्ध करते समय आयोग पीक एवं ऑफ-पीक अवधि भी दर्शायेगा।

61.6 आयोग मीटरीकरण और मीटर मापित टैरिफ को बढ़ावा देने हेतु, विशेषकर उन उपभोक्ता श्रेणियों के लिए जो एक बड़ी संख्या में वर्तमान में अमीटरीकृत हैं, पारितोषक उपलब्ध करा सकेगा।

## 62. व्हीलिंग प्रभार

62.1 वितरण तंत्र के उपयोगकर्ताओं द्वारा देय व्हीलिंग प्रभार इस प्रकार निर्मित किये जायेंगे ताकि व्हीलिंग व्यवसाय हेतु आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए यथा-अनुमोदित सकल राजस्व आवश्यकता को अभिप्राप्त किया जा सके।

62.2 इस प्रकार निकाले गये व्हीलिंग प्रभार को वोल्टेजवार आपूर्ति के अनुसार विभाजित किया जावेगा। तथापि, जब तक पर्याप्त और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो, तब तक व्हीलिंग प्रभार, वोल्टेज से निरपेक्ष रहते हेतु, एक समान दर पर निर्धारित किया जायेगा।

62.3 व्हीलिंग प्रभार, अनुमोदित लागतों और विद्युत विक्रय/मांग के पूर्वानुमान के आधार पर निर्धारित किया जावेगा। विद्युत विक्रय में फेर-बदल को देखते हुए, कुल संविदा मांग/संयोजित भार व्हीलिंग प्रभारों के निर्धारण का आधार हो सकेगा।

62.4 वितरण तंत्र के उपयोगकर्ता, तंत्र में होने वाली विद्युत की हानियों का समायोजन प्रावधित करने हेतु व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त संबंधित वोल्टेज स्तरों पर वितरण हानि को वहन करेंगे।

## 63. शासन द्वारा सब्सिडी

63.1 यदि राज्य शासन किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को सब्सिडी देना तय करे, तो धारा 65 के प्रावधानों के अनुरूप वह, ऐसी सब्सिडी से प्रभावित होने वाले अनुज्ञप्तिधारी की क्षतिपूर्ति हेतु राशि, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से अग्रिम में प्रदान करेगा।

परन्तु यह कि राज्य शासन का सब्सिडी प्रदान करने का कोई भी निर्देश तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुरूप भुगतान न कर दिया जाये और राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ, आयोग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी करने के दिनांक से लागू होगा।

63.2 अधिनियम के प्रावधानों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु आयोग प्रारंभिक टैरिफ का निर्धारण राज्य शासन द्वारा की गई सब्सिडी की वचनबद्धता पर विचार किये बिना करेगा और तत्पश्चात् संबंधित उपभोक्ता श्रेणियों के लिए राज्य शासन द्वारा दी गई सब्सिडी पर विचार कर सब्सिडाइज्ड टैरिफ तक पहुंचेगा।

63.3 आयोग, शासन से सब्सिडी के स्तर, जो दर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष में देना प्रस्तावित करता है, के संबंध में पूछताछ करेगा। और उसके आधार पर अंतिम फुटकर आपूर्ति टैरिफ अधिसूचित करेगा।

## अध्याय-7 प्रकीर्ण

### 64 अन्तःकालीन उपबन्ध

अधिनियम की धारा 172 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार जब तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कार्य करता रहेगा तब तक वह इन विनियमों में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार टैरिफ संबंधी अपना आवेदन उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए पृथक-पृथक करेगा।

### 65. व्यावृत्तियां

65.1 इन विनियमों की कोई बात आयोग को किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण और उसे पारित करने की अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु आवश्यक हो।

65.2 इन विनियमों की कोई बात, आयोग को, इन विनियमों के प्रावधानों से हटकर, परंतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, ऐसी प्रक्रिया अपनाने से अवरोधित नहीं करेगी, जिसे आयोग किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु आवश्यक अथवा उचित समझे।

### 66. कठिनाई हटाने की शक्ति

*इन विनियमों के किसी भी उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो आयोग, अपनी स्वप्ररेणा से या अन्यथा किसी आदेश द्वारा और उन्हें, जो ऐसे आदेश से प्रभावित हो सकते हों, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे प्रावधान, जो इन विनियमों या अधिनियम से असंगत न हो, कर सकेगा, जो उन कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक हो।*

### 67. संशोधन शक्ति

इन विनियमों के किसी भी उपबंधों में परिवर्तन, परिवर्धन, उपांतरण या संशोधन किसी भी समय आयोग कर सकता है।

**नोट:-** इस विनियम के हिंदी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(एन.के. रूपवानी)  
सचिव

**अवमूल्यन अनुसूची**  
**आस्तियां विवरणे**

| 1   | 2  | 3  | 4     | 5  |
|-----|--|--|-------|----|
| ए.  | पूर्ण हक के अंतर्गत भूमि स्वामित्व   | अपरिमित  | —     |    |
| बी. | पट्टे पर ली गई भूमि  |  |       |    |
|     | (ए) भूमि में निवेश हेतु  | पट्टे की अवधि अथवा पट्टा समनुदेशन पर शेष अवधि। | —     |    |
|     | (बी) क्लियरिंग स्थल की लागत हेतु   | स्थल क्लियरिंग तिथि पर पट्टे की शेष अवधि       | —     |    |
| सी. | आस्तियां   |  |       |    |
|     | (ए) खरीदी गई नई संयंत्र नीव सहित उत्पादन केन्द्र में संयंत्र व मशीनरी:—  |  |       |    |
|     | (1) जल विद्युत   | 35   | 2.57  | 90 |
|     | (2) भाप विद्युत एन.एच.आर.एस. व वेस्ट हीट रिकव्वरी बायलर्स/संयंत्र  | 25   | 3.60  | 90 |
|     | (3) डीजल-विद्युत व गैस संयंत्र   | 15   | 6.00  | 90 |
|     | (बी) कूलिंग टावर्स व सर्कुलेटिंग जल प्रणाली  | 25   | 3.60  | 90 |
|     | (सी) जलीय-विद्युत प्रणाली जो हाइड्रोलिक कार्य का भाग है, जिसमें शामिल होंगे:   |  |       |    |
|     | (1) बांध, स्पिलवेज वियर्स, नहर रिइन्फोर्सड कान्क्रीट फलूमस व साइफन   | 50   | 1.80  | 90 |
|     | (2) रिइन्फोर्स कान्क्रीट पाइप लाइन, स्लूस गेट, सर्ज टैंक, स्टील पाइप लाइन, स्लूस गेट, स्टील सर्ज (टैंक), हाइड्रालिक कन्ट्रोल वाल्व व अन्य हाइड्रालिक वर्क्स। | 35   | 2.57  | 90 |
|     | (डी) भवन व सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स-स्थायी प्रकृति के, जिसका विवरण ऊपर नहीं है:—   |  |       |    |
|     | (1) कार्यालय व प्रदर्शन कक्ष   | 50   | 1.80  | 90 |
|     | (2) ताप-विद्युत उत्पादन संयंत्र के   | 25   | 3.60  | 90 |
|     | (3) जल-विद्युत उत्पादन संयंत्र के  | 35   | 2.57  | 90 |
|     | (4) लकड़ी ढांचा जैसा अस्थायी ढांचा   | 5  | 18.00 | 90 |
|     | (5) कच्ची सड़क से भिन्न सड़क   | 50   | 1.80  | 90 |
|     | (6) अन्य   | 50   | 1.80  | 90 |
|     | (ई) ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर्स उप-केन्द्र के उपस्कर (किओस्क) व अन्य स्थिर उपकरण (संयंत्र फाउन्डेशन सहित):—   |  |       |    |
|     | (1) ट्रांसफार्मर्स (फाउन्डेशन सहित) 100 केवीए क्षमता और उससे अधिक के   | 25   | 3.60  | 90 |
|     | (2) अन्य   | 25   | 3.60  | 90 |
|     | (एफ) केबल कनेक्शन सहित स्विचगोयर,  | 25   | 3.60  | 90 |
|     | (जी) लाइटनिंग अटेस्टर्स :  |  |       |    |
|     | (1) स्टेशन टाइप  | 25   | 3.60  | 90 |

| 1 | 2  | 3   | 4     | 5  |
|---|--|---|-------|----|
|   | (2) पोल टाइप   | 15  | 6.00  | 90 |
|   | (3) सिन्क्रोनस कन्डेन्सर   | 35  | 2.57  | 90 |
|   | (एच) बैटरियाँ:   | 5   | 18    | 90 |
|   | (1) जायंट बाक्सेज व डिसकनेक्टेड बाक्सेज सहित भूमिगत केबल   | 35  | 2.57  | 90 |
|   | (2) केबल डक्ट प्रणाली  | 50  | 1.80  | 90 |
|   | (आई) सपोर्ट सहित ओव्हरहेड लाइन:  |   |       |    |
|   | (1) 66 किलोवोल्ट से उच्चतर नामिनल वोल्टेज पर फेब्रिकेटेड इस्पात पर डाली गई लाइन                                  | 35  | 2.57  | 90 |
|   | (2) 13.2 किलोवोल्ट से उच्चतर परंतु 66 किलो वोल्ट से अधिक नहीं की नामिनल वोल्टेज पर इस्पात सपोर्ट पर डाली गई लाइन | 25  | 3.60  | 90 |
|   | (3) इस्पात अथवा प्रबलित कांक्रीट पोल पर लाईन   | 25  | 3.60  | 90 |
|   | (4) संसधित लकड़ी के पोल पर लाईन  | 25  | 3.60  | 90 |
|   | (जे) मीटर्स  | 15  | 6.00  | 90 |
|   | (के) स्वचालित वाहन   | 15  | 18.00 | 90 |
|   | (एल) वातानुकूलित संयंत्र   |   |       |    |
|   | (1) स्टेटिक  | 15  | 6.00  | 90 |
|   | (2) पोर्टेबल   | 05  | 18.00 | 90 |
|   | (एम) (1) कार्यालयीन फर्नीचर व फिटिंग   | 15  | 6.00  | 90 |
|   | (2) कार्यालय साज समान  | 15  | 6.00  | 90 |
|   | (3) फिटिंग व उपकरण सहित आंतरिक वायरिंग   | 15  | 6.00  | 90 |
|   | (4) सडक बत्ती फिटिंग   | 15  | 6.00  | 90 |
|   | (ओ) किराये पर दिया गया उपकरण:-   |   |       |    |
|   | (1) मोटर से भिन्न  | 5   | 18.00 | 90 |
|   | (2) मोटर   | 15  | 6.00  | 90 |
|   | (पी) संचार उपकरण   |   |       |    |
|   | (1) रेडियो तथा उच्चतर फ्रिक्वेंसी करियर प्रणाली  | 15  | 6.00  | 90 |
|   | (2) टेलिफोन लाइन व टेलिफोन   | 15  | 6.00  | 90 |
|   | (क्यू) सेकण्ड हैंड (पुरानी) क्रय की गई आस्तियां तथा वे आस्तियां जो अन्यथा इस अनुसूची में उपलब्ध नहीं हैं।        | प्रत्येक प्रकरण में ऐसी यथोचित अवधि जो आस्ति के स्वामी द्वारा उसके अधिग्रहण के समय, आस्ति की प्रकृति, आयु तथा दशा के आधार पर सक्षम सरकार द्वारा अवधरित की जाय |       |    |